कृषि समीक्षा मुद्दा

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/—रू.

ज्येष्ठ–आषाढ़ 2076, जून 2019

VOICE OF SELF RELIANT INDIA

स्वदेशी पत्रिका

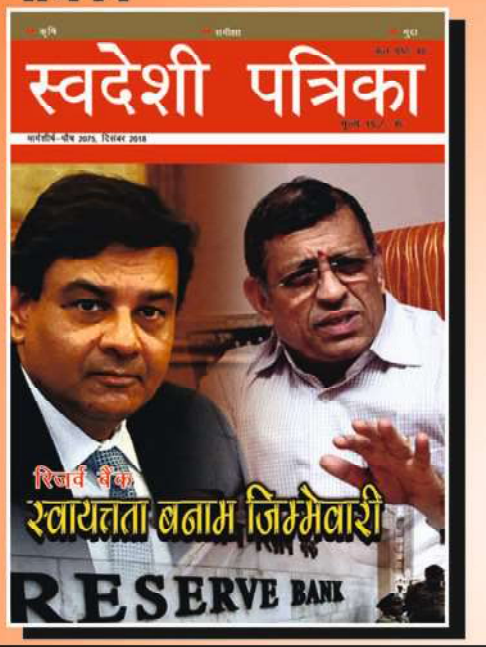

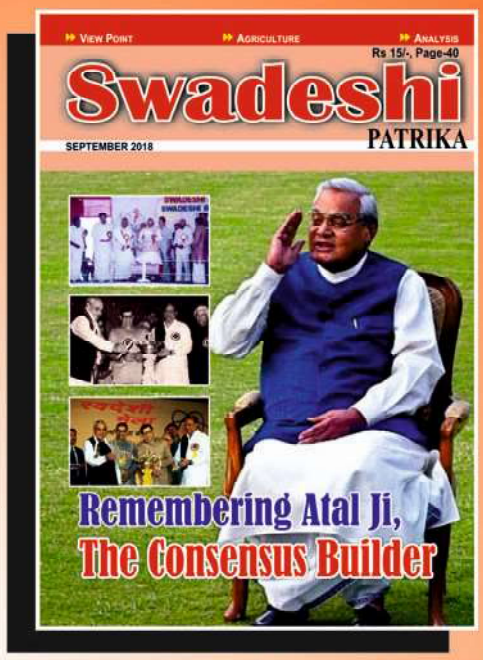

SWADESHI Patrika

वार्षिक सदस्यता (Annual Subscription) :	150/-
आजीवन सदस्यता (Life Membership) :	1500/-

For subscription please send payment by A/c payee Cheque/Demand Draft/Money Order in favour of 'Swadeshi Patrika' at New Delhi, or Deposit the subscription amount in

Bank of India, *A/c No.* **602510110002740,**
IFSC: BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

Kindly write your full name and address in capital letters.
If you do not receive any issue of Swadeshi Patrika, kindly e-mail us immediately or contact **Sh. Suraj Bhardwaj (9899225926)**

पढ़ें और पढ़ायें

स्वदेशी पत्रिका

अनुक्रम

वर्ष–27, अंक–6
ज्येष्ठ–आषाढ़ 2076 जून 2019

संपादक
अजेय भारती

सह–संपादक
अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-38

तृतीय मुख्य पृष्ठ 39
चतुर्थ मुख्य पृष्ठ 40

आवरण कथा – पृष्ठ–6

ग्लाईफोसेट पर लगे प्रतिबंध

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ
2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 रिपोर्ट
आर्थिक परिदृश्यः चुनौतियों के बीच अपार संभावनाएं
.....अनिल तिवारी

11 खेतीबारी
रिकॉर्ड पैदावार के बीच बर्बाद होते अन्न की कहानी
..... देविन्दर शर्मा

13 विचार
चुनाव को मिले सरकारी अनुदान
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला

15 विश्लेषण
लघु सीमान्त किसान विकास की ओर
..... डॉ. सूर्यप्रकाश अग्रवाल

17 आकलन
शराब से तबाह होता स्वास्थ्य व समाज
.....भारत डोगरा

19 बहस
व्यापार–युद्ध की आहट में भारत की चौकसी
..... दुलीचन्द रमन

21 मुद्दा
क्या दम तोड़ती संवेदनायें, भारत के विश्व गुरू बनने का सपना साकार करेंगी?
..... डॉ. सूर्यप्रकाश मिश्र

23 खानपान
'आहार ही रोग है, आहार ही इलाज'
..... शीला शर्मा

25 जल संकट
आग लागै रुकमा ददरी। मनुष मर जाय, पै फूटै न गगरी।
.....डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

28 जल संकट
दूसरों का मुंह ताकने का समय समाप्त
..... अरूण तिवारी

31 प्रौद्योगिकी
प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि का आधुनिकीकरण एवं उत्पादकता में वृद्धि
..... रेखा भट्ट

पाठकनामा

गर्मी से राहत कैसे?

महोदय, पिछले दो वर्षों से मैं आपकी सम्मानित 'स्वदेशी पत्रिका' की नियमित पाठक हूं। आपकी पत्रिका का कलेवर हमेशा समाज हित के मुद्दों को लेकर पाठकों के बीच गंभीर विमर्श पैदा करने एवं समस्याओं से निपटने के तरीकों पर केंद्रित होता है। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई है। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं गर्मी की छुट्टियों का आनंद नहीं ले पा रही हूं, क्योंकि दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में तापमान इतना ऊंचा है कि हमारे अभिभावक हमें कही जाना तो दूर घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। समाचार पत्रों में गर्मी से लोगों के मरने की खबरे रोज आ रही है। दिल्ली में गर्मी 10 जून को अपना सारा पुराना रिकार्ड तोड़ 48 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मालूम हो कि इससे पहले सन् 2014 में सबसे अधिक 47.8 डिग्री का सर्वाधिक रिकार्ड रहा है।

राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि आप अपनी पत्रिका के मंच से हम विद्यार्थियों को यह समझाने की कोशिश करें कि आखिर इस बढ़ते गर्मी के मायने क्या हैं? क्या हमारी भोगवादी संस्कृति इसके लिए जिम्मेवार है? इस गर्मी से मनुष्यों के साथ–साथ जानवरों, जीव–जंतुओं को राहत दिलाने के लिए क्या–क्या आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। अच्छा होगा कि 'बढ़ती गर्मीः कारण और निदान' विषय पर आप एक अंक का प्रकाशन करते तो आमजन के साथ–साथ हमारे जैसे विद्यार्थियों को भी निश्चित रूप से लाभ पहुंचता।

गौरी तिवारी, *कक्षा–8 (अ),*
राणा प्रताप सर्वोदय कन्या विद्यालय, रिठाला, दिल्ली

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्,
नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः
swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740
IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

मुझे उम्मीद ही नहीं अपितु विश्वास है कि मोदी सरकार आने वाले 5 वर्षों में सफलता और विकास के नए आयाम लिखेगी।

रामनाथ कोविन्द
राष्ट्रपति, भारत

भारत को कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। भारत को भारत ही बनना चाहिए। यह एक ऐसा देश है जिसे एक समय में सोने की चिड़िया (गोल्डन बर्ड) कहा जाता था।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत

मैं वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। वह एक साहसी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमारे समाज में सुधार के लिए कई प्रयास किए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सावरकर जी का साहस और इस महान राष्ट्र में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।

राजनाथ सिंह
रक्षामंत्री, भारत

संपादकीय

चीनी साम्राज्यवाद की दस्तक है बेल्ट रोड

चीन ने एक भारी–भरकम इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना यानि बीआरआई फोरम का पहला सम्मेलन वर्ष 2017 में बुलाया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा मुल्कों ने भाग लिया था और ऐसा लगने लगा था कि चीन को अपनी इस परियोजना के लिए शेष दुनिया से भारी समर्थन मिल रहा है। हालांकि भारत ने इस सम्मेलन का तब भी बहिष्कार किया था, क्योंकि 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (सीपीईसी) इसी बड़ी योजना का हिस्सा बताया गया। लेकिन पिछले अप्रैल 2019 में जब बीआरआई फोरम का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया गया तो दुनिया भर से इस परियोजना के संदर्भ में कई प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं और यही नहीं, चीन का आत्मविश्वास भी पहले के मुकाबले कुछ कम दिखाई दे रहा है। इससे बीआरआई की सफलता की संभावना पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गया है। इस योजना के अनुसार दुनिया के अधिकांश हिस्से को सड़क, रेल और जल मार्ग के माध्यम से जोड़ते हुए, व्यापार को विस्तार दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक 'सिल्क मार्ग' की अवधारणा से जोड़कर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा बीआरआई विश्व में कई गलियारों के मार्ग को प्रशस्त करेगी। इस बैल्ट रोड पहल में प्राथमिक तौर पर सिल्क रोड इक्नॉमिक बेल्ट है जो चीन को मध्य एवं दक्षिण एशिया और उसके बाद यूरोप से जोड़ेगी। इसके साथ ही एक नई समुद्री सिल्क रोड होगी, जो चीन को दक्षिण–पूर्व एशिया, खाड़ी के देशों, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप तक से जोड़ेगी। इसके अतिरिक्त 6 अन्य आर्थिक गलियारो की बात की गई है, जो इस बेल्ट और रोड़ को दूसरे देशों से जोड़ेगें। अभी यह प्रयास कहां तक जाएगा और यह क्या आकार लेगा, उस पर बात चल ही रही है।

जैसा कि प्रस्ताव है इस योजना में चीन समेत 66 देशों की भागीदारी अपेक्षित है। चूंकि यह योजना अभी पूरा आकार नहीं ले पाई, इसलिए यह बता पाना मुश्किल है कि वास्तव में इस पर कुल कितना निवेश होगा। लेकिन एक मोटे अनुमान के अनुसार इस पर चीन का निवेश 1 खरब डालर से 8 खरब डालर यानि 1000 से 8000 अरब डालर, तक हो सकता है। ऐसा बताया जाा रहा है कि ऐसे में व्यापार के अवरोध कम होने से न मुल्कों की जनता के कल्याण में वृद्धि होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में अधिकांश मुल्कों के संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए वे विकास में पिछड़ जाते हैं। इसकी भरपाई बीआरआई से हो सकती है। लेकिन देखा जाए तो बीआरआई के जो फायदे गिनाए जा रहे हैं, वे आसानी से मिलने वाले नहीं है। यदि योजना के अनुसार सड़कें और रेल बन भी जाएं और उनको जलमार्ग से जोड़कर आवाजाही हो भी जाए तो जरूरी नहीं है कि व्यापार बढ़ जाए। विश्व बैंक का मानना है कि टैरिफ और अन्य बाधाओं के कारण व्यापार अवरूद्ध ही रह सकता है।

साथ ही साथ खरबों की लागत से इतने बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाना, चीन के बूते की बात तो है नहीं और यह काम इतना जोखिम भरा है कि बाकि देश इसमें हामी भरने के लिए भी तैयार नहीं है। जिन मुल्कों में यह इन्फ्रास्ट्रक्चर बनता है, वे अधिकांशतः संसाधनों की दृष्टि से इतने कमजोर हैं कि वे दूसरे मुल्कों (जैसे चीन) पर इस बाबत निर्भर हो जाएंगे। उन पर भारी कर्ज उन्हें और गरीब बना सकता है। बीआरआई के कारण लिए जाने वाला प्रस्तावित कर्ज का बीआरआई देशों पर उधार/जीडीपी अनुपात को भारी रूप से बढ़ा सकता है जो इन देशों की संप्रभुता को ही खतरे में डाल सकता है। इसलिए वे इसमें भागीदारी से कतरा रहे हैं।

विश्व बैंक का कहना है कि अधिकांश बीआरआई देशों में विधि (लीगल) व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वह निवेशकों के अधिकारों का संरक्षण कर सके। इसलिए इस योजना के क्रियान्वयन हेतु अलग–अलग मूल्कों को इस संबंध में कदम उठाने पड़ेंगे, जो आसान काम नहीं होगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय संप्रभु देशों द्वारा स्वयं लिया जाता है। लेकिन जब यह निर्णय दूसरे (या यूं कहें प्रभावशाली) मुल्कों के दबाव में लिया जाता है तो उसका प्रभाव देशों की संप्रभुता पर पड़ता है और उन्हें अपने देश के हितों के खिलाफ फैसले लेने पड़ सकते हैं। अभी इसका एक उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिला। जब चीन ने श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह का निर्माण अपने हाथ में लेकर श्रीलंका पर अरबों डालर के कर्ज का बोझ डाल दिया। ऋण न चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका को अपना बंदरगाह की चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा।

भारत ने इस योजना का बहिष्कार करते हुए यह कहा है कि इस योजना से अधिकांश बीआरआई देशों पर कर्ज असहनीय स्तर को पार कर जायेगा। हालांकि भारत का मुख्य विरोध चीन द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में सीपीइसी का निर्माण है, भारत ने इस बाबत यह कहा है कि इस प्रकार की कनेक्टिविटी की कोई भी योजना सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों, नियमाधारित, खुलेपन, ट्रांसपिरेंस और बराबरी पर आधारित होना चाहिए। ऐसे प्रयास वित्तीय दायित्व पर आधारित हों और ऐसी योजनाओं को लागू न किया जाये, जो असहनीय कर्ज का बोझ बढ़ाये। जितने जोश से बीआरआई का प्रस्ताव आया था, दुनिया के बड़े मुल्कों, खासतौर पर जहां से निवेश अपेक्षित है, की बेरूखी इस योजना की सफलता पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है।

ग्लाईफोसेट पर लगे प्रतिबंध

14 मई, 2019 को अमरीका के ऑकलैंड की एक जूरी ने मोनसेंटो के 'राऊंडअप' नाम के खरपतवार के कारण एक दंपत्ति को कैंसर होने के कारण, कंपनी को 2 अरब डालर यानि 14000 करोड़ रूपए का हर्जाना देने का आदेश दिया है। मोनसेंटो पर इस प्रकार के हर्जाने का यह तीसरा मामला है। गौरतलब है कि दो माह पहले अलामेदा काऊंटी के राजकीय न्यायालय द्वारा इसी कंपनी को एक व्यक्ति के लिए 8 करोड़ डालर यानि 560 करोड़ रूपए का हर्जाना देने का निर्णय दिया गया था। इसी प्रकार एक और मुकदमे में सैन फ्रांसिस्को की राजकीय कोर्ट ने एक विद्यालय के माली को 29 करोड़ डालर का हर्जाना देने का आदेश दिया था, जिसे बाद में अन्य न्यायालय ने घटाकर 7.8 करोड़ डालर यानि 546 करोड़ रूपए कर दिया था।

यानि लगातार तीन मुकदमों में न्यायालयों ने मोनसेंटो के 'राऊंडअप' नाम के खरपतवार को कैंसरकारी होने के दावे को मंजूर करते हुए, पीड़ितों को भारी हर्जाना देने के आदेश सुनाये हैं। लेकिन कंपनी की मुश्किलें यहां खत्म होने वाली नहीं है। इस प्रकार के हजारों मामले अमरीका के कई न्यायालय में विचाराधीन हैं। गौरतलब है कि पिछले साल बेयर कंपनी ने मोनसेंटो का विधिवत अधिग्रहण कर लिया था और अब मोनसेंटो कंपनी बेयर–मोनसेंटो कहलाती है।

कैंसरकारी है राऊंडअपः विश्व स्वास्थ्य संगठन

वर्ष 2015 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक एजेंसी 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर' (आईआरसी) ने अपने शोध में यह पाया था कि 'ग्लाईफोसेट' जो मोनसेंटो के 'राऊंडअप' नामक खरपतवार नाशक का एक अहम हिस्सा है, नॉन हाडकिंन लाईफोना (कैंसर) का जोखिम बढ़ाता है और साथ ही साथ डीएनए एवं गुण सूत्र को भी क्षति पहुचाने का काम करता है। 11 देशों के 17 विशेषज्ञ 3–10 मार्च 2015 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में मिले थे और उन्होंने यह निष्कर्ष दिया था।

आवश्यकता इस बात की है कि देश और विश्व में ग्लाईफोसेट के कैंसरकारी होने और देश में कैंसर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केन्द्र सरकार तुरंत प्रभाव से इस जानलेवा रसायन पर प्रतिबंध लगाए।
– डॉ. अश्वनी महाजन

आईएआरसी का निष्कर्ष था कि ग्लाईफोसेट और उसके योगों यानि मिक्सचरों की जीन विषाक्तता का पक्का सबूत है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए 1000 अध्ययनों की समीक्षा आईएनआरसी ने की। इनमें से कुछ अध्ययन किसानों एवं अन्य लोगों, जो ग्लाईफोसेट से रूबरू हुए और उनके कैंसर के साथ संबंधित होने से संबद्ध थे।

दुनिया में बढ़ रहा राऊंडअप का प्रयोग

एक तरफ जहां राऊंडअप के उपयोग के कारण कैंसर होने के मामले, न केवल प्रकाश में आ रहे हैं, बल्कि न्यायालयों ने भी इस बाबत पीड़ितों को राहत देने का काम किया है। आज अमरीका में ही नहीं दुनिया भर में कैंसर का व्याप बढ़ता जा रहा है। एक ताजा शोध के अनुसार ग्लाईफोसेट के कारण कैंसर होने का खतरा 41 प्रतिशत बढ़ जाता है, वहीं दुनिया भर में कैंसर का बढ़ता व्याप राऊंडअप के कहर को प्रमाणित करता है।

जहां दुनिया भर में लोग इसके प्रभाव के कारण त्राहि–त्राहि कर रहे हैं, ग्लाईफोसेट के मिश्रण वाले खरपतवार नाशकों की निर्माता कंपनियां यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हर बार न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बावजूद वे अपील–दर–अपील करने में पीछे नहीं हटती। इसका कारण यह है कि उनका सारा कारोबार ही इन खरपतवार नाशकों पर आधारित जीएम फसलों पर टिका है। गौरतलब है कि जीएम फसलें अधिकांशतः एचटी टोलरेंट यानि खरपतवार नाशक सुहाता (टोलरेंट) हैं।

गौरतलब है कि दुनिया में 1974 से लेकर 2014 तक कुल 8.6 अरब किलो ग्लाईफोसेट का उपयोग हो चुका था। 1995 में जहां ग्लाईफोसेट का उपयोग मात्र 510 लाख किलो था, 2014 में यह बढ़कर 7500 लाख किलो हो गया यानि 15 गुणा वृद्धि। भारत में

आज अमरीका में ही नहीं दुनिया भर में कैंसर का व्याप बढ़ता जा रहा है। एक ताजा शोध के अनुसार ग्लाईफोसेट के कारण कैंसर होने का खतरा 41 प्रतिशत बढ़ जाता है, वहीं दुनिया भर में कैंसर का बढ़ता व्याप राऊंडअप के कहर को प्रमाणित करता है।

भी 2014 में 8.7 लाख किलो ग्लाईफोसेट का इस्तेमाल हुआ।

किसान क्यों करते हैं ग्लाईफोसेट का इस्तेमाल

खरपतरवारों को नष्ट करना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि इन्हें हटाकर ही फसल उगाई जा सकती है या पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। खरपतवार दो प्रकार से हटाए जा सकते हैं, एक मानवीयश्रम से और दूसरे खरपतवार नाशकों द्वारा। चूंकि खरपतवार नाशकों द्वारा यह काम सस्ते में हो जाता है, किसान खरपतवार नाशकों का उपयोग करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें इन रसायनों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभावों के बारे में नहीं पता और कंपनियां भी उन्हें नहीं बता रही। अमरीका में न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों से यह बात सामने आई है कि ये कंपनियां किसानों को ग्लाईफोसेट के खतरों से आगाह नहीं करती हैं।

जीएम फसलें और गलाईफोसेट

सर्वविदित ही है कि मोनसेंटो और बेयर सरीखी कंपनियां दुनिया भर में जीएम फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। अभी हाल ही में बीज कंपनियों ने गैरकानूनी रूप से खरपतवार सुहाता बीटी कपास को बाजार में उतार दिया और एक मोटे अनुमान के अनुसार एक लाख हैक्टेयर से भी ज्यादा भूमि पर एचटीबीटी कपास उगाई जा रही है। समझा जा सकता है कि यह काम देश में ग्लाईफोसेट/राऊंडअप का बाजार बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह भी समझा जा सकता है कि इस गैर कानूनी काम करने का लाभ उन्हीं कंपनियों को होने वाला है जो राऊंडअप बेचती हैं। समझ सकते हैं कि इन कंपनियों का धर्म लाभ है। उनको किसानों और आम लोगों के स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए देश में जीएम फसलों के आगमन को रोकना इसलिए भी जरूरी है कि इस कैंसरकारी और जानलेवा ग्लाईफोसेट नाम रसायनिक जहर से देश को बचाया जा सके।

(शेष पृष्ठ संख्या 10 पर...)

आर्थिक परिदृश्य

चुनौतियों के बीच अपार संभावनाएं

अबकी बार तीन सौ के पार का लक्ष्य हासिल कर लेने के साथ शुरू हुआ नरेंद्र मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल, वित्त मंत्रालय में कुछ बड़े बदलाव के साथ–साथ कई एक चुनौतियां लेकर आया है। बदलाव यह है कि अरूण जेटली की जगह इस बार निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्रालय की अहम जिम्मेवारी दी गई है। सुदृढ़ वित्तीय ढ़ांचा खड़ा करने की गरज से पूर्व में रक्षामंत्री रही सीतारमन को वित्त विभाग के अलावा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की भी कमान दी गई है। ताकि कारोबार में आने वाली अड़चनों को एक निश्चित समय के भीतर सिंगल विंडो से निपटाया जा सके। कार्यशैली में हो रहे बदलाव के क्रम में ही सरकार गठन के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई पहली केबिनेट बैठक में सरकार ने वित्त मंत्रालय को केंद्र में रखकर आर्थिक विकास को गति देने के लिए दो केबिनेट समितियों का गठन किया है। निवेश और विकास पर पांच सदस्यीय पैनल तथा रोजगार एवं कौशल विकास पर दस सदस्यीय केबिनेट समिति।

पर नवीनतम उपलब्ध जीडीपी वृद्धि दर, राजकोषीय घाटा, बढ़ती बेरोजगारी और कोर सेक्टर विकास दर के कुछ महत्वपूर्ण आंकडे भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा चुनौतियों की ओर इशारा कर रहे हैं। आर्थिक मोर्चे की वर्तमान चुनौतियां घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर है। ईरान पर लगे अमरीका प्रतिबंधों का असर भारत पर पड़ा है। वहीं मोदी सरकार के पक्ष में मिले जनादेश के दिन ही (यानि 23 मई) अमरीका ने भारत को दिया जा रहा जीएसपी (जेनेरलाईज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस) समाप्त कर दिया। यह अमरीका में भारत से होने वाले निर्यात के लिए एक बड़ा झटका है। यूएस–चीन व्यापार वार्ता और ब्रेक्जिट के कारण दुनिया भर में छाई अनिश्चिताओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रभावित हुए हैं। उच्च व्यापार शुल्क की नीति के चलते दुनिया में मंदी के बादल भी गहरा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार मंदी के गहराते

वर्ष 2018–19 के दौरान भारत के प्रति व्यक्ति आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय रू. 9557 प्रति माह थी, जो अब बढ़कर रू. 10553 प्रति माह हो गई है। ऐसे में प्रश्न है कि अगर विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं बढ़ा, तो यह आय कैसे बढ़ गई। इस दौरान सकल राष्ट्रीय आय में भी 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

– अनिल तिवारी

बादलों को छाटने की कोशिश करती है तो इसके लिए चालू खाता घाटे की भरपाई करना मुश्किल हो जायेगा। वहीं मंदी पर अंकुश के लिए सरकार फौरी कदम नहीं उठाती तो बेरोजगार और खौफनाक हो सकती है। अर्थशास्त्र की एक स्थापित मान्यता है कि चालू घाटे का नियंत्रण और पूंजी घाटे में वृद्धि की विकास की सही कुंजी है। निवर्तमान सरकार के वित्तमंत्री अरूण जेटली के द्वारा वित्तीय घाटे पर नियंत्रण की नीति लागू की गई थी। लेकिन विकास दर पीछे रह गई। अब नए वित्तमंत्री को अर्थव्यवस्था में स्थिरता तथा स्वदेशी व विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए वित्तीय घाटे की नीति में बदलाव कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि निवेश बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था चल निकलेगी।

मोटे तौर पर वित्तीय घाटे का अर्थ होता है– सरकार के खर्च अधिक और आय कम। आय से अधिक किए गए खर्च को जुटाने के लिए सरकार ऋण लेती है। सरकार को ऋण देने के लिए रिजर्व बैंक नोट छापता है। अधिक नोट छापने से मंहगाई बढ़ती है तथा अर्थव्यवस्था में अस्थिरता आती है।

मोदी सरकार के पीछे पांच साल के कार्यकाल में वित्तीय घाटा कम रहा है। लेकिन ताज्जुब है कि इस दौरान न तो विकास दर बढ़ी और न ही निवेश बढ़ा। हाल ही प्रकाशित हुए आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2018–19 के दौरान विदेशी निवेश में मामूली ही सही पर गिरावट दर्ज की गई। मालूम हो कि सरकार के खर्च दो प्रकार के होते है– पहला चालू खर्च, और दूसरा पूंजी खर्च। चालू खर्च के मद में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था आदि रोजमर्रा के विषय शामिल होते है। इसके इतर पूंजी खर्च नये निवेश के लिए किये जाते है। जैसे– एयरपोर्ट बनाना, हाईवे बनाना, जनता को मुफ्त वाई–फाई देने के लिए केबिल

मोदी सरकार ने अपनी पहली पारी में जीएसटी, आईबीसी और रेरा जैसे जो आर्थिक सुधार लागू किये थे, उनके सकारात्मक परिणाम अब आने लगे है। पिछले दो महीनों से जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ से ऊपर हो रहा है। आने वाले दिनों में इसके बढ़ने के आसार है।

बिछाना, उपकरण देना आदि। पर वित्तीय घाटे में यह नहीं देखा जाता कि सरकार उक्त दोनों में से किस पर कितना खर्च कर रही है, लिहाजा सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दे अथवा एयरपोर्ट बनाने के लिए ऋण ले ले, दोनों हालत में वित्तीय घाटा ही बढ़ता है।

इस क्रम में पूंजी घाटे और चालू घाटे के अंतर को थोड़ा और विस्तार से एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। सूरज नाम का एक व्यक्ति सही समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार खरीदने हेतु लोन लेता है, तो यह पूंजी खर्च कहा जायेगा। लेकिन वहीं सूरज दस दिन पुणे घुमने के लिए पर्यटन ऋण लेता है तो वह चालू खर्च कहा जायेगा। क्योंकि कार लेने से सूरज की कार्य क्षमता बढ़ती है और लिए गये ऋण का रिपेमेंट आसानी से हो सकता है। जबकि दूसरी परिस्थिति में लिए गए ऋण की किश्त अदा करने में कठिनाई आयेगी।

अतः सरकार को पूंजी घाटे के लिए ऋण लेना फायदे का सौदा है, जबकि चालू खर्चे के लिए ऋण लेना नुकसानदायक। यानि चालू घाटे का कम होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है जबकि पूंजी घाटे का बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।

पिछले पांच साल के दौरान मंहगाई काबू में रही है। पूंजी घाटा बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर में आशातीत विकास हुआ है। नेशनल हाईवे बनाने की गति में गुणात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। सड़के बनने से व्यापार सुगम हुआ है। ज्ञातव्य हो कि वर्ष 2014 के पहले वित्तीय घाटा ज्यादा था लेकिन विकास की दर भी ऊंची थी क्योंकि तब भी निवेशकों ने वित्तीय घाटा का तरजीह दिया था। इसके उल्ट 2014 से 2019 के दौरान अर्थव्यवस्था की तस्वीर मजबूती की रही। वित्तीय घाटा लगातार कम हुआ, परंतु चालू खर्चे की वृद्धि में संतुलन को अव्यवस्थित कर दिया। बैंकों का एनपीए एक बड़े कारण के रूप में उभरकर आया। मंदी से बाहर बने रहने के लिए किए गये एहतियाती उपायों के

साथ–साथ कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने, जरूरतमंदों को सीधे सब्सिडी देने आदि के कारण भी चालू खर्च बढ़ा।

चूंकि बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में नवउदारवाद खुद ही एक अंधी गली की ओर जाता हुआ दिख रहा है, तो इससे निपटने के लिए भारत के आर्थिक संतुलनकारों को देश के अनुकूल राजकोषीय नियम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो विश्वसनीय हो तथा पारदर्शी भी हो। सरकार को ऐसे लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसे तय समय सीमा के तहत हासिल किया जा सके।

इसमें कोई दोराय नहीं कि हाल के वर्षों में हमने अर्थव्यवस्था के जिस ढ़ांचे को अपनाया है और जिसे दुनिया ने स्वीकार किया है, उसमें हमारी उपस्थिति उत्साहजनक है। वर्ष 2018–19 के दौरान भारत के प्रति व्यक्ति आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में प्रति व्यक्ति आय रू. 9557 प्रति माह थी, जो अब बढ़कर रू. 10553 प्रति माह हो गई है। ऐसे में प्रश्न है कि अगर विकास नहीं हुआ, रोजगार नहीं बढ़ा, तो यह आय कैसे बढ़ गई। इस दौरान सकल राष्ट्रीय आय में भी 13.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

बहरहाल सरकार के विरोधियों का हर समय देश की खराब अर्थव्यवस्था का रोना कहीं से भी समीचीन नहीं है। मोदी सरकार ने अपनी पहली पारी में जीएसटी, आईबीसी और रेरा जैसे जो आर्थिक सुधार लागू किये थे, उनके सकारात्मक परिणाम अब आने लगे है। पिछले दो महीनों से जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से ऊपर हो रहा है। आने वाले दिनों में इसके बढ़ने के आसार है। इसी आधार पर विश्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि बेहतर निवेश तथा निजी खपत के दम पर भारत आने वाले समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसलिए नये वित्तमंत्री के समक्ष यह चुनौती है कि वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखते हुए पूंजी घाटे को बढ़ाने पर पुनर्विचार कर निवेश बढ़ाने पर जोर दे ताकि आर्थिक विकास की रफ्तार को ओर अधिक गति मिल सके। ❑❑

(पृष्ठ संख्या 7 से जारी...)

ग्लाईफोसेट पर लगे प्रतिबंध

ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध

ग्लाईफोसेट के कैंसरकारी सिद्ध होने के बाद कई देशों ने ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। कई मामलों में तो जहां पूरे देश में प्रतिबंध नहीं लगाया गया, कई प्रांतों में इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया गया है।

2015 में आईएआरसी की रपट के बाद अर्जेटीना के 400 से ज्यादा शहरों और कस्बों ने ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। आस्ट्रेलिया के भी कई जिलों और शहरों में यह प्रतिबंध लगाया गया है। 2017 में फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, लॅक्समबर्ग, स्लोवेनिया एवं माल्टा ने यूरोपीय संघ में ग्लाईफोसेट के इस्तेमाल के खतरों पर चिंता व्यक्त की थी और उसके बाद कम–ज्यादा मात्रा में प्रतिबंध लगाने का सिलसिला शुरू हुआ है। बरमुडा ने ग्लाईफोसेट के निजी एवं व्यवसायिक इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन सड़क किनारे खरपतरवार हटाने के लिए इसके सरकारी उपयोग में छूट दी है। ब्राजील ने ग्लाईफोसेट से बने रसायनों के पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। कनाडा के आठ राज्यों में ग्लाईफोसेट पर किसी न किसी प्रकार की रोक लगाई है। इसी प्रकार कालंबिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एल सेलवोडोर, जर्मनी, ग्रीस आदि देशों में भी ग्लाईफोसेट को या तो प्रतिबंधित किया गया है या सीमित किया गया है। नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, स्पेन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, वियतनाम आदि ने भी पूरी तरह से या कुछ मात्रा में ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है।

भारत के भी कई राज्यों में भी ग्लाईफोसेट को प्रतिबंधित करने के प्रयास हुए हैं। अक्टूबर 2018 में पंजाब राज्य में ग्लाईफोसेट की बिक्री पर रोक लगाई गई है। फरवरी 2019 में केरल राज्य में भी इसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। महाराष्ट्र में भी इस संबंध में ग्लाईफोसेट पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास चल रहा है, जबकि आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई स्थानों पर इस प्रतिबंध को यह कहकर निरस्त करने की मांग हो रही है कि किसी भी कृषि रसायन को पंजीकृत करने या प्रतिबंधित करने का काम केन्द्र सरकार का है। दुर्भाग्य से अभी तक केन्द्र सरकार ने ग्लाईफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की कोई कार्यवाही नहीं की है। लेकिन प्रतिबंध के समर्थकों का कहना है कि केन्द्र सरकार ने ग्लाईफोसेट के उपयोग की अनुमति केवल चाय बगानों और गैर कृषि क्षेत्रों में की हुई है और जिन राज्यों में चाय बगान नहीं है, वहां इसे प्रतिबंधित करने में कोई रूकावट नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि देश और विश्व में ग्लाईफोसेट के कैंसरकारी होने और देश में कैंसर के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर केन्द्र सरकार तुरंत प्रभाव से इस जानलेवा रसायन पर प्रतिबंध लगाए ताकि कैंसर की महामारी को फैलने से रोका जा सके। ❑❑

रिकॉर्ड पैदावार के बीच बर्बाद होते अन्न की कहानी

'अन्न का कटोरा' यानी पंजाब और हरियाणा में गेहूं की कुल कितनी पैदावार होगी, इसका आधिकारिक आंकड़ा आने में वक्त लगेगा, लेकिन आरंभिक अनुमानों के मुताबिक इन दोनों राज्यों में रिकॉर्ड 310 लाख टन की पैदावार हो सकती है। पंजाब में 180 लाख टन गेहूं की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा 130 लाख टन की बंपर पैदावार की अपेक्षा कर रहा है। इस बार सर्दियों के मौसम के लंबा खिंचने के कारण गेहूं की कटाई में देरी हुई है, लेकिन इसने उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। इस साल पंजाब में राष्ट्रीय औसत 32 क्विंटल की तुलना में प्रति हेक्टेयर 52 क्विंटल गेहूं होने की उम्मीद है। लेकिन संग्रहण की पर्याप्त और उचित व्यवस्था के अभाव ने गेहूं की इस जबर्दस्त पैदावार से पैदा हुए उत्साह को ठंडा कर दिया है। इन दोनों राज्यों से गुजरते हुए देख सकते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मंडियों के बाहर गेहूं के ढेर पड़े हुए हैं। गेहूं कटाई के मौसम के चरम पर पंजाब में गेहूं की नई आवक के रख–रखाव के लिए शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहां गेहूं को ढ़ककर रखा जा सके। पिछले साल का 12 लाख टन गेहूं का स्टॉक पहले ही खुले में पड़ा हुआ है, जिसे तकनीकी रूप से कवर्ड ऐंड प्लिथ (कैप) स्टोरेज कहा जाता है और इसका मतलब है कि अन्न से भरे गेहूं के बोरे खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, जिन्हें काले तिरपालों से ढक दिया गया है।

पंजाब के पास 158.5 लाख टन कवर्ड स्टोरेज क्षमता है, जिनमें पिछले मौसम में खरीदे गए 143 लाख टन चावल और गेहूं रखे हुए हैं। इसके अलावा इसके पास कैप स्टोरेज के रूप में 75 लाख टन संग्रहण की अतिरिक्ति क्षमता है, जिनमें पिछली बार का 12 लाख टन

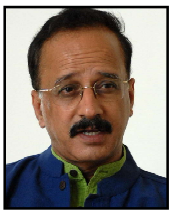

जिस देश में अब भी 70 फीसदी कार्यबल ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, वहां एक बड़ी आबादी का शहरों में झुंड बनाकर काम की तलाश में भटकने की कल्पना भी क्षुब्ध करने वाली है।
– **देविन्दर शर्मा**

अन्न रखा हुआ है। इसके अलावा राइस मिलों से 20 से 22 वैगन चावल यहां पहुंचने की उम्मीद है। चूंकि चावल के रख–रखाव में नुकसान से बचने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है, इसलिए इसे हमेशा ढकी हुई जगहों पर रखा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गोदामों में रखे जाने के लिए चावल को हमेशा पहली प्राथमिकता मिलती है। साल दर साल वही कहानी दोहराई जा रही है। इस साल 132 लाख टन गेहूं की खरीद का अनुमान है और खरीदा गया अधिकांश गेहूं खुले में पड़ा रहेगा।

पिछले साल भी जब मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू हुई थी, तब पहले के स्टॉक का 20 लाख टन गेहूं खुले में पड़ा हुआ था। मुझे याद है कि खरीद के मौसम के चरम पर 70 लाख टन ताजा आवक को कैप स्टोरेज के तहत खुले में रखना पड़ा था। प्राथमिक तौर पर ऐसा पिछले साल खरीदे गए चावल और गेहूं की निकासी न कर पाने की अक्षमता के कारण हुआ। तकरीबन 90 लाख टन गेहूं को पिछले साल खुले में रखना पड़ा था, जिसमें से 12 लाख टन गेहूं अब भी खुले में पड़ा हुआ है।

स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, बशर्ते कि संग्रहित अन्न को जितनी जल्द हो सके राज्य से बाहर भेजा जाए। पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव के ए.पी. सिन्हा ने कहा है कि हम खरीद मौसम के अंत तक संग्रहण की जगह खाली करवा लेंगे। मैं समझ सकता हूं कि हर साल राज्य प्रशासन को नौकरशाही से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी दो बार। एक बार तब जब गेहूं की आवक होती है और कुछ महीने बाद दूसरी बार तब जब धान की खरीद का मौसम आता है। तथ्य यह है कि हर बीतते साल में अन्न संग्रहण का संकट बदतर होता जा रहा है। करीब तीस

तकरीबन 90 लाख टन गेहूं को पिछले साल खुले में रखना पड़ा था, जिसमें से 12 लाख टन गेहूं अब भी खुले में पड़ा हुआ है।

वर्षों से तो मैं देख रहा हूं कि अन्न संग्रहण की कैसी बदइंतजामी है। वार्षिक खाद्य उत्पादन का लक्ष्य तय करना तो नीतिगत एजेंडा होता है, लेकिन गेहूं और चावल के खरीदे गए एक–एक दाने का प्रबंधन करना राजनीतिक प्राथमिकताओं में सबसे निचले क्रम पर है। भरपूर– बंपर पैदावार और बढ़ते खाद्य अपव्यय का यह विचित्र विरोधाभास खाद्य प्रबंधन के सभी कानूनों को धत्ता बताता है। मैं नहीं समझ पाता कि कैसे नीति नियंता इसकी वजह से होने वाली खाद्यान्न की बर्बादी की ओर से आंखें मूंदे रहते हैं।

मुझे हमेशा यह लगता है कि खाद्यान्न की बर्बादी रोकने की अपेक्षा सिर्फ किसान से ही की जा सकती है; मानो खरीदे गए कीमती खाद्यान्न को बर्बाद करना सरकार का अधिकार हो। निरंकुशता के साथ संग्रहित खाद्यान्न की गुणवत्ता को खराब होने दिया जाता है, जिससे यह अक्सर मनुष्यों के खाने लायक नहीं रह जाता। यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। आखिर खाद्यान्न के संग्रहण के लिए गोदामों के निर्माण के लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हर बार जब भी मैं यह सुनता हूं कि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करने जा रही है, तो बाद में पता चलता है कि इससे सुपर हाइवे का निर्माण किया गया। मैं हाइवे के फैलते नेटवर्क के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसके अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां सार्वजनिक धन का निवेश करने की जरूरत है। 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2022 तक 83,677 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण के लिए 6.92 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की थी। यदि उन्होंने इसमें से सिर्फ एक लाख करोड़ रुपये खाद्यान्न स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए रख दिए होते, तो खाद्यान्न के बर्बाद होने की समस्या से निजात मिल जाती।

इससे पहले यूपीए सरकार ने देशभर में ढाई लाख पंचायतों में पंचायत घर का निर्माण करवाया था। उस समय भी मैंने देशभर में खाद्यान्न गोदाम के निर्माण के लिए निवेश करने का सुझाव दिया था। वाकई टेलीविजन पर आने वाली गोदामों में बर्बाद होते खाद्यान्न या मंडियों में बारिश से भीगते खाद्यान्न के बोरों की तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकती। खासकर तब और जब 119 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 103 वें स्थान पर हो। दुनिया की एक चौथाई भूख से पीड़ित आबादी भारत में रहती है, एक ऐसे देश में जहां रखरखाव के अभाव में भारी मात्रा में खाद्यान्न को बर्बाद होने दिया जाता है। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूं कि यह मुद्दा राजनीतिक प्राथमिकता क्यों नहीं बन पा रहा है। ❑❑

लेखक कृषि नीति विशेषज्ञ है।

https://www.amarujala.com/columns/opinion/the-story-of-wasted-food-in-the-open

चुनाव को मिले सरकारी अनुदान

एनडीए की भारी जीत ने हमारी चुनावी व्यवस्था में पार्टियों के वर्चस्व को एक बार फिर स्थापित किया है। विशेष यह है कि चुनाव में जनता के मुद्दे पीछे और व्यक्तिगत मुद्दे आगे थे। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संदेश नहीं है। स्वतंत्रता हासिल करने के बाद गाँधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए और जनता द्वारा बिना किसी पार्टी के नाम के सीधे अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजा जाए। इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि संपूर्ण चुनावी व्यवस्था पार्टियों के इर्द–गिर्द सिमट गयी है। पूर्व में एक दो स्वतंत्र प्रत्याशी चयनित हो जाते थे। अब वह भी समाप्त प्रायः ही हो गया है। स्वतंत्र प्रत्याशी के नाम पर पार्टी के बागी व्यक्ति ही चुनाव लड़ रहे हैं। जनता की आवाज़ आज संसद में नहीं पहुँच रही है। किसी भी विषय पर सकारात्मक चर्चा नहीं हो रही है। हर चर्चा का उद्देश्य अपनी पार्टी को बढ़ाना रह गया है। पार्टियों द्वारा जनता के हितों को बढाने के स्थान पर अपने अथवा धनियों के हितों को बढाया जा रहा है। यह समस्या केवल अपने देश में नहीं बल्कि तमाम लोकतांत्रिक देशों में देखी गयी है। इससे निजात पाने के लिए कई प्रयोग भी किये गए हैं।

ऑस्ट्रेलिया में हर प्रत्याशी को कुछ रकम सरकार द्वारा मिले वोटों के अनुपात में दी जाती है। शर्त यह होती है कि उन्हें कम से कम चार प्रतिशत वोट हासिल करने चाहिए। यह शर्त इसलिए लगायी गयी है कि फर्जी प्रत्याशी केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए पर्चे न भरें। इसी प्रकार अमरीका में कई राज्यों में प्रत्याशियों को आर्थिक अनुदान देने की व्यवस्था है। जैसे अरिजोना में किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 100 व्यक्तियों से 5–5 डॉलर प्रति व्यक्ति यानि कुल कम से कम 1000 डॉलर एकत्रित करने के प्रमाण देने पड़ते हैं। ऐसा करने के बाद उसे 25,000 डॉलर का सरकारी अनुदान मिलता

गाँधी जी ने सुझाव दिया था कि कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए और जनता द्वारा बिना किसी पार्टी के नाम के सीधे अपने प्रतिनिधियों को संसद में भेजा जाए। इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि संपूर्ण चुनावी व्यवस्था पार्टियों के इर्द–गिर्द सिमट गयी है।
– डॉ. भरत झुनझुनवाला

है। इस व्यवस्था का भी यही उद्देश्य है कि न्यूनतम जन समर्थन हासिल होने के बाद ही सरकारी अनुदान दिया जाए।

इन सरकारी अनुदानों के सकारात्मक प्रभाव सामने आये हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ़ विस्कानसिन द्वारा किये गए एक शोध में पाया गया कि सरकारी अनुदान से प्रत्याशियों को संख्या में वृद्धि हुई है। साथ–साथ निवर्तमान प्रत्याशियों के निर्विरोध चयन होने की एवं पुनः जीतने की संभावना में गिरावट आई है। यानी सरकारी अनुदान देने से नए लोगों का चुनावी दंगल में प्रवेश बढ़ जाता है। चुनावी प्रतिस्पर्धा बढती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्तम व्यक्ति के चुने जाने की संभावना बढती है। इसी प्रकार ड्यूक यूनिवर्सिटी द्वारा किये गए एक अध्ययन में पाया गया कि सरकारी अनुदान से विधायिका में जनता के मुद्दों को ज्यादा उठाया जाता है। यह भी कहा है कि तमाम लोग जो सामान्य रूप से चुनाव लड़ने में हिचकिचते हैं वे चुनावी अनुदान मिलने पर चुनाव लड़ने को तैयार हो जाते हैं। नए लोगों का चुनावी दंगल में प्रवेश होता है। यह शोध हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है चूँकि हाल के चुनाव में सभी पार्टियों ने प्रतिद्वंदी के व्यक्तिगत चरित्र पल जादा बहस की है और जनता के मुद्दों पर कम। हमारा लोकतंत्र अब जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यह पार्टी के नेताओं की कुश्ती मात्र बनकर रह गया है।

अपने देश में भी सरकारी अनुदान देने पर चिंतन हुआ है। इन्द्रजीत गुप्ता कमिटी ने 1988 में सुझाव दिया था कि राज्यस्तरीय और राष्ट्रीय पार्टियों को चुनाव के लिए सरकारी अनुदान दिया जाए यद्यपि उन्होंने स्वतंत्र प्रत्याशियों को यह अनुदान देने की संस्तुति नहीं की थी। 1999 में लॉ कमीशन ने सुझाव दिया था कि चुनाव के लिए सरकारी धन उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन साथ में कहा था कि प्रत्याशियों को किसी

अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि अगले चुनाव के पहले हम प्रत्याशियों को सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था को लागू करें, जैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था।

दुसरे स्त्रोत से धन लेने पर प्रतिबंध होना चाहिए। यानि चुनाव को लड़ने में केवल सीमित मात्रा में उपलब्ध सरकारी धन का उपयोग होना चाहिए। 2008 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया था कि प्रत्याशियों को आंशिक अनुदान दिया जाए। इसी क्रम में नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चुनाव लड़ने के लिए सरकारी अनुदान की व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए। यह चिंतन बताता है कि अपने देश में भी चुनाव में धनबल के उपयोग और उसे काटने के लिए सरकारी अनुदान देने पर चिंतन हुआ है। यद्यपि अपने देश में चर्चा पार्टियों तक सीमित रही है।

दूसरे देशों के ऊपर बताये गए अनुभवों और अपने देश में ही इस विषय पर हुई चर्चा के आधार पर मेरा सुझाव है कि चुनाव में प्रत्याशियों को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। इस अनुदान का दुरुपयोग न हो उसके लिए कुछ शर्तें लगायी जा सकती हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में किया गया है। ऐसा करने से स्वतंत्र लोगों को चुनाव लड़ने की ताकत मिलेगी और देश में जनता की आवाज़ विधानसभा और संसद में पहुंचेगी। विधायिका में जनता के मुद्दों पर वास्तविक खुली चर्चा होनी की संभावना बढ़ेगी।

इस सुझाव के विरोध में तर्क दिया जा सकता है कि सभी प्रत्याशियों को वोट के अनुपात में अनुदान देने से वर्तमान में पार्टियों के धनाड्य प्रत्याशियों को भी यह धन मिलेगा और इससे प्रत्याशियों के बीच असमानता बढ़ेगी न की घटेगी। कहा जा सकता है कि धनाढ़य प्रत्याशियों को भी रकम देने से इस व्यवस्था का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। यह बात सही नहीं है। मान लीजिये वर्तमान में कोई धनाढ़य प्रत्याशी एक करोड़ रूपये खर्च करता है, उसे 10 लाख वोट मिलते हैं और इसके अनुसार उसे 10 लाख रूपये का अनुदान मिलता है। यह सरकारी अनुदान उसके कुल खर्च का 10 प्रतिशत बैठेगा। इससे उसके कुल खर्च में विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। इसके सामने कोई स्वतंत्र प्रत्याशी वर्तमान में एक लाख रूपये का खर्च करता है और उसे 10 लाख वोट मिलते हैं और इसके अनुसार उसे भी 10 लाख रूपये का अनुदान मिलता है। सरकारी अनुदान उसके कुल खर्च का दस गुणा बैठेगा। इससे उसके कुल खर्च में भारी अंतर पड़ेगा। स्वतंत्र प्रत्याशी को उसकी आर्थिक शक्ति की तुलना में 10 गुना रकम मिलेगी जबकि धनाढ़य प्रत्याशी को उसकी आर्थिक शक्ति की तुलना में केवल 10 प्रतिशत रकम मिलेगी। अतः स्वतंत्र प्रत्याशियों को इस रकम से बड़ा सहारा मिलेगा और उनकी चुनाव लड़ने की क्षमता में विस्तार होगा।

हाल में हुए चुनाव हमारे लोकतंत्र की गिरती स्थिति को दर्शाते हैं। चुनाव में अधिकतर मुद्दे व्यक्तिगत रहे और जनता के विषयों को उठाने का अवसर ही नहीं मिला। अतः अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए जरूरी है कि अगले चुनाव के पहले हम प्रत्याशियों को सरकारी अनुदान देने की व्यवस्था को लागू करें जैसा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था। ❑❑

लघु सीमान्त किसान विकास की ओर

भारत में बडे बडे जमींदार किसान नित्य ही इस बात को लेकर देश के किसी न किसी कोने में आंदोलनरत् रहते है कि किसान की हालत निरंतर खराब होती जा रही है और उसके आर्थिक हालात इतने खराब हो गये है कि वे आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। किसान के द्वारा की गई आत्महत्या को वे सरकार की नीतियों से जोड़कर देखते हैं। यह सब राजनीति के करण हो रहा है, जबकि वास्तविकता है कि देश का लघु सीमान्त किसान (जिनकी संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है) विकास की ओर धीमी गति से ही सही, आगे की ओर अग्रसर हो रहे है तथा गरीब किसान की माली हालत धीरे–धीरे सुधर रही है। यह दिगर बात है कि विकास की ओर अग्रसर होते किसान की हालत राजनीति के चलते हम नजरान्दाज कर रहे है। अब किसान सीधे तौर पर बैंक में आ रही नकद राशि से लाभान्वित हो रहे है। किसानों को अब आशा हो चली है कि उसकी आय अब थोडे समय में ही दोगुनी हो ही जायेगी तथा किसान ऋण माफी करने वाली राजनीति समाप्त हो जायेगी जोकि अच्छे–अच्छे राजनीतिज्ञों को विचलित कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 फरवरी 2016 को बरेली में किसानों की रैली में अपने संबोधन में कहा था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है तथा संपूर्ण देश में **डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम बाई 2022** नाम से एक **स्ट्रेटजी डोक्यूमेंट** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से देश की जलवायु को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 23 फरवरी 2019 को 75,000 करोड रुपये सालाना सरकारी व्यय की किसान सम्मान निधि योजना (पीएम किसान) शुरु करते हुए किसानों के बैंक खाते में 2,000/– की प्रथम किस्त हस्तान्तरित कर दी। इससे 12 करोड से अधिक छोटे व सीमान्त किसानों को लाभ होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2.14 करोड किसान शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड की 10,000 करोड रुपये की भी एक योजना शुरु की गई है। अब सरकार सीमान्त किसानों को केन्द्र में रखकर बिचौलियों

देश का लघु सीमान्त किसान विकास की ओर धीमी गति से ही सही, आगे की ओर अग्रसर हो रहे है तथा गरीब किसान की माली हालत धीरे–धीरे सुधर रही है।

– डॉ. सूर्य प्रकाश अग्रवाल

व दलालों को दूर करते हुए योजना बना रही है। सरकार किसान की आय दोगुनी करने के गंभीर प्रयास कर रही है।

किसान को परंपरागत कृषि के साथ–साथ अन्य आय प्राप्त करने की संभावनाओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसमें पशु पालन, मछली पालन, बागबानी, खाद्य प्रसंस्करण की पहचान कर विविधीकरण, तकनीक को बढ़ावा देकर लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया जा रहा है। **मिलियन फार्मर्स स्कूलों** के माध्यम से किसानों को खेती की तैयारी, बोआई, कटाई, सुरक्षित भंडारण और बाजार के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है तथा अब तक पांच दिन के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से दस लाख किसानों को कृषि प्रसार के लिए जागरुक किया जा चुका है तथा देश के अन्य जिलों में भी ऐसे स्कूल खोले जा रहे है। खेतों की सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चत की जा रही है। सरकार का लक्ष्य इस वर्ष में 20 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का विस्तार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्षों से अधूरी व लाम्बित पडी कुछ सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की प्राथमिकता दी जा रही है। सोलर पम्प स्थापित करके किसानों के जलकूपों की बिजली पर निर्भरता को कम किया जा रहा हैं। जल संरक्षण के लिए तालाब खोदवाने के लिए किसानों को 90 व 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। आवारा घूम रहे पशुओं से खेत की फसलें नष्ट होना भी किसानो की एक गंभीर समस्या है, जिनके लिए सरकार ने गौ–सरंक्षण केन्द्रों की स्थापना कर लघु डेयरी चलाने का प्रावधान किया जा रहा है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए **वर्मी कम्पोस्ट** की इकाई लगाने पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इसकी प्रति इकाई लगाने

आवारा घूम रहे पशुओं से खेत की फसलें नष्ट होना भी किसानो की एक गंभीर समस्या है, जिनके लिए सरकार ने गौ–सरंक्षण केन्द्रों की स्थापना कर लघु डेयरी चलाने का प्रावधान किया जा रहा है।

में 8,000 रुपये की लागत आती है जिसमें से 6,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अंधाधुंध रसायनिक खादों के प्रयोग से किसान की फसल की लागत बढ़ जाती है। मिटट्री को जितना उर्वरक चाहिए केवल उतना ही मिले तो लाभदायक परिणाम हो सकते है। किसानों को **स्वॉयल हेल्थ कार्ड** बडी संख्या में दिये जा रहे है।

सरकरी संस्था व आढ़तियों की मिली भगत के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिखावा बनकर रह गया है। किसान आढ़तियों को एमएसपी से कम दाम पर फसल बेच देते है तथा आढतिये सरकारी खरीद संस्थाओं को ऊंची कीमतों पर बेच देते है जिसके लाभ में आढतिये व सरकारी कर्मचारी दोनों ही हिस्सेदार होते है। गेंहू, धान और गन्ने की रिकार्ड खरीद करके आढतियों व सरकारी खरीद संस्थाओं की इस मिली भगत को तोडने की सार्थक कोशिश की जा रही है। सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी किया जा रहा है।

आयुष्मान योजना से गरीब किसानों का सही समय पर सही तरीके व सही दवाईयों से ईलाज करके उनकी उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बीमारी के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता कम हुई है। अब किसान की सोच विकसित होकर प्रगतिशील होती जा रही है। गरीब व मेहनतकश किसान के लिए 500 रुपये मासिक की छोटी सी राशि भी अमश्त की कुछ बुंदो के समान सिद्ध हो सकती है, बशर्ते कि वह किसान इस राशि को समझदारी पूर्वक परिवार के हित में व्यय करे। किसान इस राशि को भी यदि शराब–खोरी और सामाजिक बुराईयों पर खर्च न करके परिवार की आवश्यक वस्तुओं व कृषि पर ही व्यय करे। कई सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो चुका है कि भारत में किसान सामाजिक दिखावे रीति रिवाज, बुरी आदतों पर काफी व्यय कर ऋणग्रस्त हो जाता है, जिससे वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। यह एक कटु सत्य भी है कि अनुदान की इस बैशाखी को धीरे–धीरे हटाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यह योजना किसानों के लिए पूरक आय के रुप में काम करेगी। इसमें भूमिहीन किसानों को भी ध्यान रखना चाहिए। किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान अपने परिवारजनों में खेतों को बांट भी रहे है, जिससे 2 हेक्टेयर से कम उनकी जमीन हो जाये। इससे कृषि की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ सकता है। किसानों की मासिक बचत बढ़ने की उम्मीद हो चली है। एक एकड से कम जमीन वाले किसान की औसत मासिक बचत 465 रुपये होती है, जबकि इस योजना में उन्हें 500 रुपये मासिक की सहायता दी जा रही है अर्थात अब उनकी बचत 1,000 रुपये मासिक तक पहुंचने की उम्मीद हो चली है। सरकार के द्वारा किसानों विशेषकर लघु सीमान्त किसान की तरफ ध्यान देकर कृषि की हालात में सुधार किये जा रहे है। वहीं धीमी गति से ही सही किसानों का विकास हो रहा है, बशर्ते वह दुर्व्यसनों व समाजिक दिखावटी रीति रिवाजों के चक्कर में अपनी कमाई को व्यय न करे। ❑❑

लेखक सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर, 251001 (उ.प्र.), में वाणिज्य विषय में एसोसियेट प्रोफेसर के पद व महाविद्यालय के प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त है व तथा स्वतंत्र टिप्पणीकार है।

शराब से तबाह होता स्वास्थ्य व समाज

वैसे तो शराब के स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल असर के बारे में जानकारियां बहुत पहले से उपलब्ध रही हैं, पर हाल के समय में जो नई जानकारियां मिल रही है, उनसे पता चलता है कि शराब से होने वाली क्षति पहले के अनुमानों से भी कहीं अधिक है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की शराब व स्वास्थ्य स्टेटस रिपोर्ट (2018) के अनुसार विश्व में वर्ष 2016 में शराब से 30 लाख मौतें हुईं। विश्व में होने वाली सभी मौतों में से 5.3 प्रतिशत मौतें शराब के कारण हुई। पुरुषों के संदर्भ में 23 लाख मौतें तथा महिलाओं के संदर्भ में 7 लाख मौतें शराब के कारण हुई। वर्ष 2016 में बीमारियों व चोटों का जितना बोझ था (डिसएबिलिटी एडजस्टिड लाईफ इयर), उसमें से 5.1 प्रतिशत शराब उपयोग के कारण था।

वर्ष 2016 में शराब के कारण हुई मौतों में से 28.7 प्रतिशत चोटों के कारण हुईं, 21. 3 प्रतिशत पाचन रोगों के कारण हुईं, 19 प्रतिशत हृदय रोगों के कारण हुईं, 12.9 प्रतिशत संक्रामक रोगों से हुईं व 12.6 प्रतिशत कैंसर से हुईं। 20 से 29 आयु वर्ग में होने वाली मौतों में से 13.5 प्रतिशत शराब के कारण होती हैं। सड़क दुर्घटनाओं में शराब के कारण वर्ष 2016 में 370000 मौतें हुईं। इनमें से 187000 ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं गाड़ी नहीं चला रहे थे। शराब के कारण इस वर्ष 150000 आत्म–हत्याएं हुईं व 90000 मौतें आपसी हिंसा में हुईं।

कम समय में अधिक पी लेने से कोमा में आने व मृत्यु तक का परिणाम हो सकता है।

इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि 200 तरह की बीमारियों व चोटों में शराब का हानिकारक उपयोग एक कारण है। लिवर सिरोसिस व अनेक तरह के कैंसर में शराब एक महत्त्वपूर्ण कारण है। अनेक तरह की चोटों विशेषकर दुर्घटनाओं में लगने वाली चोटों में शराब एक महत्त्वपूर्ण कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस विषय पर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार हाल के समय में एल्कोहल उपभोग व तपेदिक तथा एचआईवी/एड्स जैसे संक्रामक रोगों के फैलाव में भी कारणात्मक संबंध स्थापित हुआ है। पहले अधिक शराब पीने को ही मस्तिष्क की क्षति, याद रखने की क्षमता पर प्रतिकूल असर व डिमेनशिया से जोड़ा जाता था पर अब ऑक्फोर्ड यूनिवर्सिटी व यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के नए अनुसंधान (ब्रिटिश मेडिकल जर्नल

शराब से उत्पन्न हिंसा में जितने लोग मारे जाते हैं या नजदीकी रिश्ते बिगड़ जाते हैं उससे उत्पन्न गहरे दुख–दर्द की तो शायद कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती है। यह क्षति तो असहनीय हद तक गहरा दुख–दर्द देने वाली हैं।

– भारत डोगरा

में प्रकाशित) से पता चलता है कि अपेक्षाकृत कम शराब पीने से भी मस्तिष्क की ऐसी क्षति होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1300 महिलाओं के अध्ययन से भी यही स्थिति सामने आई है।

यह तो सब जानते हैं कि शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, पर शराब उद्योग यह मिथक फैलाने के लिए प्रयासरत रहा है कि थोड़ी सी शराब पीने से नुकसान नहीं होता है। यह केवल एक मिथक ही है। सच्चाई हाल के अध्ययन में सामने आई है जो प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लांसेट में अगस्त 24 को प्रकाशित हुआ।

लगभग 500 विषेशज्ञों के समूह के मुख्य लेखक मैक्स ग्रिसवोल्ड ने इस अध्ययन के निष्कर्ष के बारे में बताया है, "एल्कोहल की कोई ऐसी सुरक्षित मात्रा नहीं है। (न्यूनतम मात्रा से भी नुकसान होता है)। आगे जैसे–जैसे एल्कोहल का प्रतिदिन का उपयोग बढ़ता जाता है, वैसे–वैसे स्वास्थ्य के खतरे भी बढ़ते जाते हैं।" नशीली दवाओं, एल्कोहल व एडिक्टिव बिहेवियर के विश्वकोष के अनुसार मौत होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में से 44 प्रतिशत में एल्कोहल की भूमिका पाई गई है। दुर्घटना में मरने वाले 50 प्रतिशत तक मोटर साईकिल चालकों के शराब के नशे में होने की संभावना पाई गई है। इस विश्वकोष के अनुसार घर में होने वाली दुर्घटनाओं में 23 से 30 प्रतिशत में एल्कोहल की भूमिका होती है। आग लगने व जलने से मौत होने की 46 प्रतिशत दुर्घटनाओं में एल्कोहल की भूमिका होती है।

शराब के हिंसा, अपराध व नजदीकी रिश्ते या संबंध टूटने के रूप में बहुत गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हैं। कुछ अध्ययनों ने शराब के इन सामाजिक दुष्परिणामों की आर्थिक कीमत लगाने का प्रयास किया है जिससे पता चलता है कि शराब के सामाजिक दुष्परिणाम कितने महंगे पड़ते हैं।

1. यूरोपीयन यूनियन के लिए वर्ष 2003 में लगाए गए अनुमान में शराब के सामाजिक दुष्परिणामों की कीमत 125 अरब यूरो लगाई गई।
2. केवल एक देश यूके के लिए वर्ष 2009 में लगाए गए अनुमान में शराब के सामाजिक दुष्परिणामों की कीमत 21 अरब पाऊंड लगाई गई।
3. संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वर्ष 2006 में शराब के सामाजिक दुष्परिणामों की कीमत 233 अरब डालर लगाई गई।
4. दक्षिण अफ्रीका के लिए वर्ष 2009 में शराब के सामाजिक दुष्परिणामों की कीमत 300 अरब रैंड लगाई गई जो कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 10 से 12 प्रतिशत के बराबर थी।

निश्चय ही यह आंकड़े अपने में बहुत महत्त्वपूर्ण तो हैं पर इसके आगे यह भी कहना चाहिए कि शराब से उत्पन्न हिंसा में जितने लोग मारे जाते हैं या नजदीकी रिश्ते बिगड़ जाते हैं उससे उत्पन्न गहरे दुख–दर्द की तो शायद कोई कीमत लगाई ही नहीं जा सकती है। यह क्षति तो असहनीय हद तक गहरा दुख–दर्द देने वाली हैं। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://
swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

व्यापार-युद्ध की आहट में भारत की चौकसी

इन दिनों अमेरिका कई सैनिक मोर्चों से विदा ले रहा है या सैन्य हस्तक्षेप टालने का प्रयास कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कई दौर की शांति वार्ता हो चुकी है, उत्तर कोरिया के तानाशाह से भी परमाणु बम का बटन कुछ दूर कर दिया गया है। इस समय अमेरिका खाड़ी के देश ईरान के विरुद्ध अपना नया सैनिक मोर्चा खोलने को आमदा है। इसकी भूमिका अमेरिका ने काफी पहले लिखनी शुरू कर दी थी, जब अमरीकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ परमाणु समझौता रद्द करके ईरान पर परमाणु संधि की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाकर उसे आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए आर्थिक प्रतिबन्ध लगा दिए है। ईरान की तेल आधारित अर्थवयवस्था मूलतः निर्यात पर ही आधारित है। पश्चिम के ज्यादातर देशों ने पहले ही ईरान से तेल आयात करना बंद कर दिया था। भारत और चीन भी मई माह से ईरान से तेल आयात बंद कर चुके है।

ईरान के भारत के साथ कई हित जुड़े है। भारत और ईरान के सांस्कृतिक संबंध काफी पुराने है। भारत द्वारा तेल आयात में ईरान कई सुविधाएं देता आ रहा था, जिसमें भुगतान में 60 दिनों की क्रेडिट की सुविधा थी। भारत को अब तेल आयात के अन्य स्त्रोतों पर निर्भर रहना होगा तथा उसे वे विशेष सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी, जो ईरान से मिलती थी। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा, जिसकी भरपाई करने से अमेरिका भी साफ़ इनकार कर चुका है। अगर खाड़ी में सैनिक टकराव बढ़ा तो भारत की कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, जिससे तेल संकट खड़ा होगा और भारत का व्यापार घाटा बढ़ेगा।

इस समय चीन के साथ अमेरिका व्यापारिक मोर्चे पर अपना ज्यादा ध्यान दे रहा है। अमेरिकी सरकार अब अपनी व्यापारिक कंपनियों के लिए कुटनीतिक मोर्चों पर लड़ रही है। 'ट्रम्प काल' में यह ट्रेंड ज्यादा देखने को मिल रहा है और अमेरिका के निशाने पर चीन और भारत हैं। चीन के साथ तो वह खुलकर मोल-भाव/दबाव की स्थिति में है। इस व्यापार युद्ध में अमेरिका टकराव टालने के लिए चीन से कई दौर की वार्ताएं कर चुका है। चीन भी

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती रस्सा-कस्सी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत की नई सरकार को राष्ट्रीय-हितों के प्रति सचेत रहने का समय है।

– दुलीचन्द रमन

स्थिति को भांप चुका है तथा उसकी अर्थव्यवस्था में नर्मी और बढ़ती लागत के कारण वहां से करीब 200 कंपनियां अपनी निर्माण इकाइयाँ भारत में स्थानांतरित करने को तैयार बैठी है।

भारत में भी मोदी सरकार के प्रथम कार्यकाल से ही व्यापारिक मोर्चे पर ध्यान दिया जा रहा है। घरेलू उद्योगों के सरंक्षण के लिए काफी सजगता दिखाई जा रही है। इसलिए सरकार ने अमेरिका से आयातित 200 से ज्यादा उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इससे अमेरिका की भोहें तन गई है। अमेरिका का आरोप है कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत द्वारा ही सबसे ज्यादा औसतन 13.8 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया जा रहा है। बदले की कार्यवाही में अमेरिका ने प्राथमिकताओं की सामान्यीकरण प्रणाली (GPA) द्वारा प्रदत शून्य शुल्क पर भारत से आयात की सुविधा को बंद कर दिया है। इस प्रावधान के तहत भारत से अमेरिका को 5.6 बिलियन डॉलर का ड्यूटी फ्री निर्यात किया जाता था।

भारत की नई ई–कॉमर्स पालिसी के प्रावधानों से भी अमेरिकी अमेज़न और वालमार्ट जैसी कंपनियां परेशान है, क्योंकि इस पालिसी में ये कंपनियां कोई भी ऐसा उत्पाद अपने प्लेटफार्म पर नहीं बेच सकती जिसका निर्माण उनकी कोई हिस्सेदार कंपनी द्वारा किया गया हो। इस पालिसी में इन कंपनियों के 'कैश बर्निंग मॉडल' पर भी अंकुश लगाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा 'कीमत सीमा निर्धारण' के माध्यम से कीमतों के निर्धारण को लेकर भी ट्रम्प प्रशासन दबाव बनाने के प्रयास में है। अगर 'आयुष्मान-भारत' योजना को सही तरीके से लागू कर दिया गया तो चिकित्सा उपकरणों का बाज़ार २० अरब डालर तक पहुँच सकता है।

एक अन्य मुद्दा भारत सरकार द्वारा 'रुपे–कार्ड' के प्रोत्साहन को लेकर है। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। डिजिटलीकरण के कुछ अपने खतरे भी है। इसमें डाटा की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। अभी तक 'VISA' और 'Mastercard' जैसी अमेरिकी कंपनियों का ही इस क्षेत्र में बोल–बाला था। अब रुपे–कार्ड ने इन अमेरिकी कंपनियों की बाज़ार हिस्सेदारी में सेंध लगाने का काम किया है, जिससे इन कंपनियों के लाभांश पर फ़र्क पड़ना तय है। भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ये भी चाहते है कि ये कंपनियां अपने भारत से संबंधित अपना डाटा भारत में ही स्टोर करें। जबकि अमेरिकी सरकार और उसकी कंपनियों का तर्क है कि भारत में डाटा सेंटर बनाने से उनकी लागत में वृद्धि होगी तथा डाटा की सुरक्षा का खतरा बना रहेगा। इन सभी मुद्दों पर नई सरकार को प्राथमिकता के आधार पर कुटनीतिक जीत हासिल करनी होगी।

भारत अपनी 130 करोड़ आबादी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएँ देना चाहता है। कई अमेरिकी कंपनियां चिकित्सा उपकरणों का भारत को निर्यात बहुत ऊँचे दामों पर करती है। भारत सरकार द्वारा 'कीमत सीमा निर्धारण' के माध्यम से कीमतों के निर्धारण को लेकर भी ट्रम्प प्रशासन दबाव बनाने के प्रयास में है। अगर 'आयुष्मान–भारत' योजना को सही तरीके से लागू कर दिया गया तो चिकित्सा उपकरणों का बाज़ार 20 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है।

अमेरिका ने चीन से आयात होने वाले सामान पर आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया है। इससे चीनी माल का अधिशेष भारत जैसे देशों में सस्ते दामों में डंपिंग का खतरा बढ़ गया है। इस कारण भारत में स्टील उद्योग पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जो पहले भी इसकी मार झेल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती रस्सा–कस्सी के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। भारत की नई सरकार को राष्ट्रीय–हितों के प्रति सचेत रहने का समय है। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका आर्थिक सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

क्या दम तोड़ती संवेदनायें, भारत के विश्व गुरू बनने का सपना साकार करेंगी?

भारत में सामाजिक व्यवस्था का जो सदियों से स्वरूप रहा है, उसी से हमारी जीवन शैली निर्धारित होती रही है। परंतु सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में भारतीय समाज में नित नये परिवर्तन होते नजर आ रहे हैं। भारत के शहरी समाज में लोग एकाकी परिवार की जीवन शैली के साथ अब आत्म केंद्रित हो रहे हैं। अभी ग्रामीण समाज में इस आत्म केन्द्रित स्वभाव को अधिकांश परिवारों ने नहीं अपनाया, अभी भी भारत के ग्रामीण परिवारों में संवेदनायें जिंदा हैं, जिससे भारतीय समाज की परंपरा गतिमान है।

अभी 'डेटिंग एवं टिडर' ने 18 से 25 साल के बीच आयु के भारतीय युवाओं के इस संबंध में विचार जानें तो इस सर्वेक्षण से पता चला कि शहरी भारतीय युवा इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि वह सिर्फ अपने लिये जीना चाहता है। शादी और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े पहलू भी इन युवाओं की पहली प्राथमिकता नहीं हैं। 56 प्रतिशत युवाओं की पहली प्राथमिकता स्वयं के लिए जीना ही महत्वपूर्ण कार्य है। भारत में संयुक्त परिवार में विखराव ने एकाकी परिवार को जन्म दिया और अब परिवर्तन के इस दौर में व्यक्ति को आत्म केंद्रित किया है। वजह स्पष्ट है कि एकाकी परिवारों में पति–पत्नी दोनों आर्थिक रूप से स्वावलंबी है। परिणामस्वरूप अपने–अपने कामों के व्यस्तता के कारण बच्चों, किशोर एवं युवा तरूणायी पर ध्यान न देने के कारण ये युवा पारिवारिक संवेदनाओं से दूर होते चले जा रहे हैं। लड़कियों की स्थिति और निराशाजनक है जिस कारण वह अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहती हैं। इस कारण वह लिव–इन–रिलेशनशिप में (अपने पुरूष मित्र के साथ बिना शादी किये) रहना पसंद कर रहीं हैं।

इस युवा तरूणायी की अपनी मजबूरियां हैं, जहां एक ओर इन्हें अपने परिवार से जो दया, करूणा, सहानुभूति, स्नेह, प्रेम, बुजुर्गों के प्रति आदर, भाईयों का सहयोग, माता–पिता

हम आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हैं यदि भारतीय समाज के मानवीय मूल्यों को और श्रेष्ठ कर लें, खासतौर से शहरों को केन्द्र बिन्दु बनाकर। तब भारत को विश्व गुरू बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम सबको इसके लिए अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

– डॉ. जयप्रकाश मिश्र

का दुलार आदि संवेदनायें संस्कारों में घुट्टी में पिलाई जानी चाहिए थी, उससे ये युवा वंचित रहे। आया या झूलाघर इनके परवरिश के केंद्र बनें। जिनमें संवेदनाओं का कोई अर्थ नहीं है। जीविकोपार्जन के लिए ऐसे झूलाघर संचालित हैं। संस्कारों की शिक्षा ऐसे केंद्रों में नहीं दी जाती। अनेक युवा आज इन संवेदनाओं के अभाव में अवसाद, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अवसाद में रहने के कारण आत्महत्यायें जैसे कदम भी युवाओं–किशोर द्वारा उठाये जा रहे हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह अवश्य है कि जो युवा 'लिव–इन–रिलेशनशिप' में रहने लगते हैं वह अवसाद या डिप्रेशन के शिकार होने से बच जाते हैं।

'आज टूटते एकाकी घर और बिखरते रिश्ते' एक वैश्विक समस्या हैं। इस समस्या के मूल में अति उपभोक्तावादी संस्कृति, आर्थिक स्वतंत्रता, संवेदनाओं का अभाव, परिवारों में बढ़ती दूरियां, माता–पिता के पास अपनी संतान के लिए समय नहीं आदि अनेक कारण हैं, जो युवाओं को आत्मकेंद्रित या अपराधी बनाने का वातावरण तैयार कर रहे हैं।

इस बात से शायद आप सहमत हो कि परिवार रूपी संस्था बुजुर्गों के लिए सुरक्षा और युवाओं को संस्कार देने का कार्य सदैव करती रही है। पर, संयुक्त परिवार पहले एकाकी परिवार में और अब व्यक्ति का स्वयं पर केंद्रण होता जा रहा है। जो परिवार रूपी इस संस्था को नष्ट करता नजर आ रहा है। मित्रों 'आत्म केंद्रण' व्यक्ति को हताशा और अकेलापन भी देता है। यही अकेलापन अनेक तरह के अपराधों की जननी भी है और आत्म हत्यायें आदि करने को उकसाने का माध्यम भी।

हमारी संस्कृति तो 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के आदर्श वाक्य से संचालित

अपना विकास करना अच्छी बात है। ''विकास'' एक वैश्विक शब्द है जिस पर संपूर्ण दुनिया का अर्थतंत्र चक्कर लगा रहा है। परंतु यह विकास मानवीय संवेदनाओं को लाभ केंद्रित मानसिकता और 'आत्म केंद्रित' मानसिकता के तहत दरकिनार कर रहा है।

होती रही है। इस परिवर्तन के दौर में भी (ग्लोबल व्लेज) विश्वग्राम की परिकल्पना को भी साकार करने का प्रयास सारी दुनियां कर रही है। परंतु यह भी एक सच्चाई है कि 1991 में आये इन नये सुधारों अर्थात् वैश्वीकरण का परिकल्पना में आर्थिक हितों के लिए सभी राष्ट्र काम कर रहे हैं। सामाजिक सहिष्णुता, भाईचारा, आपसी सहभागिता से एक दूसरे की मदद का जो भाव देशों में होना चाहिए वह नहीं आया। कारण स्पष्ट है कि दुनियां एक देश दूसरे देश की जो मदद को उतावले दिखते हैं उनकी मानसिकता 'लाभ केंद्रित' हैं और लाभ एक आर्थिक क्रिया है। जिस दिन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों की मानसिकता 'सेवा केंद्रित' हो जायेगी उस दिन से ही भाईचारा, सहिष्णुता, एक दूसरे के लिए त्याग, सहायता आदि' सामाजिक क्रिया' में तब्दील हो जायेगी, तभी सच्चे अर्थों में 'विश्व ग्राम' की परिकल्पना साकार होगी।

दरअसल, वैश्विक स्तर पर भी आज संवेदनाविहीन समाज एवं परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत भी विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम रखना चाहता है। इस कारण भारतीय माता–पिता या अभिभावकों की भी यह सोच है कि हमारे होनहार को विदेशों में सेवा करने का मौका मिले और यह सोच भारतीय अभिवावकों और युवाओं में बढ़ रही है। जिसका अंजाम यह है कि विदेशों में भारतीय युवाओं का प्रवास बढ़ रहा है वह विदेशी नागरिकता ग्रहण कर रहे हैं।

अपना विकास करना अच्छी बात है। ''विकास'' एक वैश्विक शब्द है जिस पर संपूर्ण दुनिया का अर्थतंत्र चक्कर लगा रहा है। परंतु यह विकास मानवीय संवेदनाओं को लाभ केंद्रित मानसिकता और 'आत्म केंद्रित' मानसिकता के तहत दरकिनार कर रहा है। इस मानसिकता से हम 'अरबपति या खरबपति भी हो सकते हैं।' दुनियां के विकसित देशों में हम पहली पायदान पर भी आ जायेंगे, लेकिन मानवीय मूल्यों को हमारी ये संवेदनायें ही आगे ले जायेगी, जो हमारा 'विश्व गुरू' बनने का रास्ता प्रशस्त करेगा। इस बिन्दु पर चिंतन की आवश्यकता है। क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब तक विश्व गुरू नहीं बन सकता जब तक वह आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्तर पर अपने को विश्व में श्रेष्ठ साबित न कर दें। हम आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक क्षेत्र में श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हैं यदि भारतीय समाज के मानवीय मूल्यों को और श्रेष्ठ कर लें, खासतौर से शहरों को केन्द्र बिन्दु बनाकर। तब भारत को विश्व गुरू बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पर हम सबको इसके लिए अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। ❑❑

लेखक शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक है।

'आहार ही रोग है, आहार ही इलाज'

मनुष्य को जीने के लिए 'आहार' यानि भोजन की जरूरत पड़ती है। इससे वह अपनी शारीरिक क्रियाओं व स्वस्थ रहने के लिये कई पोषक तत्वों को ग्रहण कर शरीर में पहुंचाता है। इन पोषक तत्वों की मात्रा उम्र, लिंग, वातावरण, शारीरिक क्रिया, शारीरिक अवस्था आदि कारकों पर निर्भर करती है। मुख्य पोषक तत्व हैं– प्रोटीन्स, कर्बोज, वसा, विटामिन्स व खनिज लवण।

पोषक तत्व ऊर्जा देने के अलावा शरीर की टूट–फूट को फिर से ठीक करने, नई कोशिकाओं का निर्माण करने, शरीर के विकास व वृद्धि में सहायता करने, अंगों के सुचारू रूप से काम करने, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बनाए रखने, नाजुक अंगों की ढ़ाल बनने, जरूरत के समय शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा पूर्ति हेतु जमा पोषक तत्वों की भरपाई करने व स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन जीने में मदद करने आदि कार्य करते हैं।

हम कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन कर अधिक वसा, सरल कार्बोज, अधिक शक्कर, अधिक नमकयुक्त भोजन कर अपने शरीर को बीमार करने की दिशा में अपना कदम बढ़ाते है। यही एक–एक कदम धीरे–धीरे बढ़ते जाते है और हम मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्त चाप, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रोल, हृदय पर अधिक कार्य बोझ, गुर्दे की बीमारी, कब्ज, कैंसर व समय से पूर्व बूढ़े होने व असमय मौत का कारण बनता है।

परंतु यदि हम भोजन में मैदा व सरल कार्बोज न लेकर मोटा अनाज, चौंकर युक्त आटा, मिश्रित अनाज, साबुत व छिलकेदार दालें लेते है, ताजा फल व सब्जी का सेवन करते है, तो पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, कब्ज की शिकायत नहीं रहती, मधुमेह की आशंका कम हो जाती है, अगर होती भी है तो ग्लूकोज की मात्रा खून में अधिक व तेजी से नहीं बढ़ती। हरे पत्तेदार साग/सब्जी व फल ना सिर्फ खाने को रंग प्रदान करते हैं, स्वाद देते हैं, विटामिन्स

प्रतिदिन व्यायाम कर अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करें। संतुलित भोजन कर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। आहार को दवा जैसे खाये, नहीं तो दवा को आहार जैसे खाना पड़ेगा, क्योंकि "आहार ही रोग हैं और आहार ही इलाज"।

– शीला शर्मा

व मिनेरल्स, जिसमें मुख्य रूप से लौह, फोलिक एसीड, विटामिन–सी, विटामिन–ए तथा बी, रेशा आदि कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।

शक्कर की अधिक मात्रा स्वाद देने के अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करती। इसी स्वाद के कारण हम इसे और ज्यादा खाने के लिए प्रेरित होते हैं। अधिक मीठा अतिरिक्त ग्लूकोज में बदलकर वसा में परिवर्तित होकर मोटापा बढ़ाता हैं। यदि शक्कर के बदले हम नियंत्रित मात्रा में शहद, गुड़, गुड़िया शक्कर, ताजे फल से स्वभाविक मिठास ले, तो न सिर्फ हम मीठापन पाएंगे, बल्कि खनिज तत्व, विटामिन भी पाएंगे, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं।

तेल, घी, मक्खन, मलाई स्वाद बढ़ाने के साथ वसा में घुलनशील विटामिन्स के भी वाहक हैं। वसा ऊर्जा का घनिष्ठ स्त्रोत हैं, थोड़ी सी मात्रा से अधिक ऊर्जा यानि कार्बोज व प्रोटीन के मुकाबले दुगुने से भी अधिक ऊर्जा या कैलोरी देता हैं।

अतः सीमित/संयमित मात्रा हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं। अतिरिक्त वसा खून में जाकर उच्च कोलेस्ट्रोल, खून की धमनियों को अवरोध करने, मोटापा बढ़ाने, जोड़ों की गतिशीलता कम करने व कैंसर आदि को बढ़ाने का कारण हैं। चार चम्मच तेल से हम दिनभर की वसा की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। इससे अधिक उपयोग बीमारी का कारण बनती हैं। संतृप्त व असंतृप्त वसा दोनों ही शरीर के लिए ज़रूरी हैं। अलग–अलग तेल सरसों, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, चावल, बिनौले का तेल, शुद्ध घी आदि से हम शरीर के लिए ज़रूरी फैटीएसिड प्रदान कर सकते हैं। एक ही तरह का तेल ना लेकर बदल–बदलकर खाने से यह पूर्ति आसानी से हो जाती हैं। कम मलाई का दूध व उससे बने पदार्थ से वसा के साथ प्रोटीन्स, केल्शियम व अन्य खनिज व विटामिन मिलेंगे।

फल व सब्जी हमारे भोजन का अहम हिस्सा हो। इनकी मात्रा अधिक लें तथा मौसम के अनुरूप सभी फलों व सब्जियों को भोजन में मुख्य रूप से शामिल करें।

नमक हमारे शरीर के गुर्दे, मांसपेशियों, हृदय, मस्तिष्क, पिटुटेरी ग्रंथि के कार्य करने सहित अनेक कार्य के लिए आवश्यक हैं, परंतु 5 ग्राम से अधिक नमक उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनियमित हृदय धड़कन, किडनी की बीमारी, शरीर में सूजन का कारण बनता हैं। पिज्जा, बर्गर, डबलरोटी, बिस्किट, डिब्बा बंद भोजन, पैकेट के खाद्य पदार्थ, भुजिया, गांठिया, खाने के लिए तैयार भोजन, आदि में उपयोग होने वाला मीठा सोडा व बेकिंग पाऊडर भी नमक का ही रूप हैं।

नमक सीमित मात्रा में लें एवं फल, सलाद, जूस, नींबू पानी में ऊपर से ना डालें। डिब्बाबंद, बेकरी की सभी चीजें व पैकेट के खाद्य पदार्थ सीमित मात्रा में लें।

फल व सब्जी हमारे भोजन का अहम हिस्सा हो। इनकी मात्रा अधिक लें तथा मौसम के अनुरूप सभी फलों व सब्जियों को भोजन में मुख्य रूप से शामिल करें। जूस के बजाय पूरा फल खाए और अधिक ग्लूकोज व कम रेशों से होने वाले नुकसान से बचें रहे।

माँसाहारियों के लिये अंडा, मुर्गी के सिर व पैर वाला भाग, लीवर, मछली उपयुक्त हैं। कम मसालों व कम तेल में पकाने या भुना खाने से अधिक पौष्टिकता बनी रहती हैं। ये प्रोटीन, विटामिन बी–12, लौह तत्व आदि का अच्छे स्त्रोत हैं। परंतु लाल मांस, अंडे का पीला भाग, मुर्गी का पेट वाला हिस्सा कम लें।

दालों व अनाज आदि को अंकुरित करके उपयोग करने से उनमें कुछ अन्य पौष्टिक तत्व की मात्रा बढ़ जाती हैं और अन्य पौष्टिक तत्व जो सूखे रूप में नहीं होते, जैसे– विटामिन–ए, विटामिन–सी भी आ जाते हैं और भोज्य पदार्थ अधिक पौष्टिक, पोषक तत्व आसानी से शरीर को मिलने व अधिक पाचक हो जाता हैं। एक ही दाल ना लेकर मिश्रित दालें खाना ज्यादा फायदेमंद हैं।

आजकल बच्चों और युवाओं में अधिक मैदा, तेल, शक्कर व नमक से बनी चीजें–पिज्जा, बर्गर, नूडल्लस, डबल रोटी, पास्ता, केक, पेस्ट्री, क्रीम बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स की आदत हो गई हैं, जिनके दुष्प्रभाव के कारण कभी बुजुर्गों की बिमारियाँ, जैसे– उच्च रक्त चाप, लकवा, हार्ट अटैक आदि युवावस्था में ही होने लगे हैं।

प्रतिदिन व्यायाम कर अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करें। संतुलित भोजन कर शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। आहार को दवा जैसे खाये, नहीं तो दवा को आहार जैसे खाना पड़ेगा, क्योंकि "आहार ही रोग हैं और आहार ही इलाज"। ❑❑

आग लागै रुकमा ददरी। मनुष मर जाय, पै फूटै न गगरी।

बुंदेलखंड के पाठा क्षेत्र के लोकगीत की यह पंक्ति उस क्षेत्र के लिए जल के महत्व का प्रतिपादन करती है। यूं तो समस्त पाठा क्षेत्र जलाभाव से पीड़ित है, किंतु रुकमा एवं ददरी ग्राम निवासी महिला संबंधित गांव में पानी न होने के कारण पूरे गांव में आग लग जाने की कामना करती है तथा अपने कथन को उपयुक्त प्रमाणित करने के लिए कहती है कि पानी से रहित ऐसे गांव में आग लग जाए। आग से पति भले मर जाए, पर पानी से भरी हुई गगरी (घड़ा) न फूटे। क्षेत्र में जल की कमी के कारण एक गगरी (घड़े) पानी की कीमत मनुष्य की जिंदगी से अधिक है। यद्यपि राज्य सरकारों ने समय–समय पर बुंदेलखंड को अनेक प्रकार के पैकेज प्रदान किए हैं, जिनके माध्यम से बुंदेलखंड के विकास का खाका वहां के निवासियों को प्रदान किया जाता रहा है, किंतु धरातल पर कहीं भी कुछ भी विकास नहीं दिखाई दे रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 साल बाद भी बुंदेलखंड की भूमि जल बिन प्यासी है। विडंबना है कि नाना प्रकार के विकास का दावा करने वाली राज्य एवं राष्ट्रीय सरकारें आम जनमानस को स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने दिनों बाद भी हर खेत को पानी तो दूर शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाई हैं।

उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूरे देश में पर्याप्त पानी उपलब्ध था, लोगों को पेयजल के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। आम जनता तथा उसके पशुओं के लिए उनके घर के आस–पास ही पर्याप्त जल उपलब्ध था, किंतु आज जल के समस्त स्रोत सूख रहे हैं। भूगर्भ जल का स्तर निरंतर नीचे जा रहा है और पीने के पानी के लिए लोगों को बोतलबंद पानी पर निर्भर होना पड़ रहा है। पेयजल की यह समस्या यूं तो वर्ष भर बनी रहती है किंतु गर्मी के आने के साथ ही यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। आकाश से हो रही अग्नि की बरसात एवं उसकी तपिश से जनमानस बेहाल है, पानी दुर्लभ होता जा रहा है। बुंदेलखंड में तो पानी आज संजोकर रखने की वस्तु बन गया है। कहने को तो

आज आवश्यकता है कि हम अपने जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हुए वर्षा के अधिकाधिक/ समस्त जल को संरक्षित करें तथा वर्षा जल की एक बूंद को भी व्यर्थ में बहने न दें, तभी हमारा प्रयास सार्थक होगा और जल समस्या से मुक्ति मिलेगी अन्यथा भयंकर परिणाम सामने होंगे।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्र

बुंदेलखंड में पाठा जल योजना के साथ–साथ 57 योजनाएं चल रही हैं, किंतु वह सब सफेद हाथी के समान ही दिखाई पड़ रही है। वह पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रही। फलस्वरूप बुंदेलखंड के समस्त जनपद पानी की समस्या से जूझ रहें हैं।

निरंतर पानी के दुर्लभ होते जाने के संदर्भ में उल्लेखनीय हैं कि महोबा जिले में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल 198988 हेक्टेयर था, जबकि उसके सापेक्ष बोवाई मात्र 84870 हेक्टेयर में की गई थी। यही स्थिति हमीरपुर जिले की थी, यहां कुल कृषि भूमि 390865 हेक्टेयर है, जिसमें 294816 हेक्टेयर में कृषि कार्य किया जाता है, जबकि करीब 32000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के अभाव में अनुपयोगी है। बांदा की स्थिति भी इनसे भिन्न नहीं है, यहां खेती किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं रही। फलस्वरूप नवयुवकों का पलायन निरंतर हो रहा है और वह कृषि कार्य छोड़कर रोजगार की खोज में बाहर जा रहे हैं। पानी के अभाव में खेत परती पड़े हुए हैं। चित्रकूट जिले की भी स्थिति यही है, यहां भी नवयुवक कृषि कार्य छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां 100– 50 हेक्टेयर भूमि परती व बंजर न पड़ी हो। जनपद में जलस्तर लगभग 20 मीटर नीचे चला गया है और औसत जलस्तर 175 फीट है, जबकि साल भर पहले यह लगभग 90 से 120 फीट पर था। यही नहीं चित्रकूट से लगे जनपद प्रयागराज में भी भूगर्भ के जल का स्तर प्रतिवर्ष लगभग 75 फीट नीचे जा रहा है।

बुंदेलखंड के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के 13 जिले आते हैं जिनमें झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, जालौन, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर एवं दतिया आदि जल समस्या से त्रस्त है। इन जिलों में जहां एक ओर वन भूमि का पूर्ण अभाव

बुंदेलखंड की समस्त जल परियोजनाएं दिखावटी हाथी बन कर रह गई हैं, जिन पर शासन के द्वारा अकूत धन राशि फूंकी जा रही है, किंतु उससे न तो खेती की भूमि की सिंचाई हो पा रही है और न ही जानवरों सहित आदमी को पीने का पानी ही मिल रहा है।

है या वन भूमि नाम मात्र की बची है वहीं दूसरी ओर इन जिलों के जल स्रोतों पर बांध आदि बनाकर उनके सतत प्रवाह को बाधित कर दिया गया है और अब खनन माफिया के सौजन्य से बेतहाशा बालू एवं मोरम की खुदाई करते हुए उनके जल स्रोतों को भी समाप्त किया जा रहा है। जिससे उनके समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है और वह लगभग समाप्त हो गए हैं तथा अनेक छोटी नदियां गायब हो गई हैं। भूगर्भ जल दोहन पर यदि रोक न लगाई गई तो यह क्षेत्र शीघ्र ही रेगिस्तान बन सकता है और किसी प्रकार के उत्पादक कार्य न होने के कारण महंगाई से जूझने के कारण हो रहे यहां से पलायन को कोई रोक नहीं सकता। बुंदेलखंड की समस्त जल परियोजनाएं दिखावटी हाथी बन कर रह गई हैं, जिन पर शासन के द्वारा अकूत धन राशि फूंकी जा रही है, किंतु उससे न तो खेती की भूमि की सिंचाई हो पा रही है और न ही जानवरों सहित आदमी को पीने का पानी ही मिल रहा है।

यहां पर बुंदेलखंड में विद्यमान जल संकट को प्रतीक के रूप में लिया गया है जिसका कारण लेखक का बुंदेलखंड का निवासी होना है। वस्तुतः जो स्थिति आज बुंदेलखंड की है, लगभग यही स्थिति आज संपूर्ण राष्ट्र की बन गई है और यदि यह कहें यह स्थिति पूर्ण विश्व की बनने जा रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज देश का कोना–कोना जल समस्या से ग्रस्त है। वर्षा ऋतु में जो प्रदेश बाढ़ की समस्या से ग्रस्त थे आज भयंकर सूखे तथा पानी की समस्या से त्रस्त हैं। वर्ष 2018 में कर्नाटक में अभूतपूर्व बाढ़ देखी थी किंतु अब 2019 में उसके 176 में से 156 तालुके सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि समस्त प्रदेश भयंकर जल समस्या का सामना कर रहे हैं। समीक्षकों द्वारा तृतीय विश्वयुद्ध की आशंका पानी के लिए व्यक्त की जाती रही है। किंतु पानी की उपलब्धता की स्थिति को देखते हुए यह लगने लगा है कि विश्वयुद्ध हो या न हो, परहर गली–मोहल्ले में, शहर–शहर में, गांव–गांव में पानी के लिए 10–15 वर्ष में ही युद्ध होंगे और भाई–चारे के साथ रह रहे पड़ोसी पानी के लिए आपस में लड़ेंगे। पानी की यह समस्या भारत के साथ साथ समस्त विश्व को भी निरंतर व्यथित कर रही है। अफ्रीका के केपटाउन शहर में पानी पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अरब देश पहले से ही इस समस्या से जूझ रहे हैं किंतु वह अपनी आर्थिक समृद्धि के बल पर समस्या का तात्कालिक समाधान कर ले रहे हैं किंतु पानी को लेकर उनके समक्ष भी यक्ष प्रश्न खड़ा है, कब तक पानी की आपूर्ति सहज ढंग से होती रहेगी। निकट भविष्य में पानी का प्रयोग अस्त्र रूप में भी संभावित है।

भारत में विश्व की आबादी का 18 प्रतिशत भाग निवास करता है किंतु उसके लिए हमें विश्व में उपलब्ध पेय जल का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है। नीति आयोग के एक ताजा सर्वे के अनुसार भारत में 60 करोड़ आबादी गहरे भीषण जल संकट का

सामना कर रही है। अपर्याप्त और प्रदूषित जल के उपभोग से भारत में हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यूनिसेफ द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार भारत में दिल्ली और मुंबई जैसे महानगर जिस प्रकार पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं, उससे लगता है कि 2030 तक भारत के 21 महानगरों का जल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और वहां पानी अन्य शहरों से लाकर उपलब्ध कराना होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से स्पष्ट है कि पिछले 7 दशकों में विश्व की आबादी दोगुने से भी अधिक बढ़ गई है, किन्तु पानी की उपलब्धता किसी भी रूप में न बढ़कर कम ही हुई है, जिसके कारण लोगों तक पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। गंदे पानी के उपयोग से डायरिया, टायफाइड, हैजा जैसी जल जनित बीमारियां पैदा हो रही है। उक्त बीमारियों के साथ ही साथ अन्य अनेक बीमारियां तो अशुद्ध जल के उपयोग से पैदा हो रही हैं या किसी बीमारी के हो जाने पर यह अशुद्ध जल उक्त बीमारियों को असाध्य बनाने में सहयोग कर रहा है। स्लोवाकिया की एक कहावत है शुद्ध जल विश्व की प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण औषधि है, जिसका तात्पर्य है स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ जल प्रथम आवश्यकता है, जिसकी पर्याप्त उपलब्धता अनिवार्य आवश्यकता है, जिसके अभाव में स्वस्थ जीवन ही कल्पना नहीं की जा सकती।

पानी की आवश्यकता को देखते हुए देश की जल नीति में प्रथम स्थान पेय जल को प्राप्त है, उसके पश्चात सिंचाई तथा उद्योगपतियों को स्थान दिया गया है। व्यवहार में स्थिति बिल्कुल भिन्न है। पेयजल की समस्या के निवारण के लिए कहीं कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, अपितु कारोबारियों, उद्योगपतियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने बोतल बंद पानी, शीतल पेय जैसे उत्पादों को तैयार कर मालामाल होने के लिए असीमित जल हर समय उपलब्ध कराया जाता है तथा उन्हें स्वयं भूगर्भ के जल का असीमित दोहन करने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिससे संबंधित क्षेत्र में जल स्तर निरंतर गिरता चला जा रहा है और भूगर्भ के अंदर कभी विद्यमान रहा असीमित जल निरंतर कम होता जा रहा है।

अभी समय है, प्रत्येक व्यक्ति, राज्य एवं सरकार को नित्य प्रति बढ़ रही पानी की कमी तथा भूगर्भ जल के स्तर में हो रही गिरावट को दृष्टि में रखकर उसकी उपलब्धता तथा वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसके लिए आवश्यक है कि हम हम अपनी संस्कृति की आधारभूत नदी माताओं के अस्तित्व को पुनः स्वीकार करें तथा उनके संरक्षण संवर्धन की दिशा में कार्य कर उन्हें जल की गंभीर राशि से पूर्ववत परिपूर्ण बनाएं। आज नदियों के अस्तित्व को अस्वीकार कर उन्हें महज सिंचाई का साधन, विद्युत उत्पादन का केंद्र आदि मानकर उन पर बांध आदि बनाने का कार्य किया जा रहा है। फलस्वरूप छोटी बड़ी नदियों पर अनगिनत बांधों का निर्माण कर दिया गया और यह नहीं देखा गया कि इन बांधों के निर्माण से संबंधित नदी का अस्तित्व रहेगा या नहीं, जिसके चलते इस देश में महानदियों के रूप में स्वीकार की गई गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी आदि सहित अनेकानेक नदियां जल प्रवाह के बाधित हो जाने से जलराशि के कम हो जाने पर जीर्ण–शीर्ण–काय होकर लुप्त होने के कगार में हैं। इतना ही नहीं, इन महानदियों को जल की अजस्र राशि उपलब्ध कराने वाली अनेकानेक छोटी नदियां पूर्णरूपेण लुप्त हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हिंडोन तथा काली नदी के मात्र अवशेष बचे हैं किंतु उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। भारतीय संस्कृति के जलाधार कुंओं–तालाबों को भी पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिए जिससे वह एक ओर तो पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराते रहें, वहीं दूसरी ओर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के साथ साथ भूगर्भ के जलस्तर को भी पर्याप्त उन्नत स्तर तक बनाए रख सकें। इस समय देश में हो रही कमजोर बारिश तथा कमजोर जल प्रबंधन के कारण वर्षा का जल संरक्षित न हो पाने के कारण आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध न होकर निरंतर कम पड़ता जा रहा है। अब पानी सहेजने के लिए कुछ कारगर उपाय सरकार के साथ–साथ जनमानस को भी करना होगा। प्रायः देखा जाता है कि बरसात का पानी बह कर निकल जाता है उसको रोकने तथा उसके संरक्षण के लिए छोटे–छोटे बांध और तालाब बनाने में समाज और सरकार दोनों को ही आगे बढ़ कर कार्य करना होगा, जिससे बरसात का पानी सुरक्षित तथा संरक्षित हो जिससे भूगर्भ का जलस्तर सहज रूप में ऊपर उठे। इस साल जहां एक और भयंकर गर्मी पड़ने के कारण पानी की समस्या मुंह बाए खड़ी है वहीं दूसरी ओर अल नीनो प्रभाव के कारण वर्षा में 7 प्रतिशत कमी होने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने भी 3 प्रतिशत कम वर्षा होने का अनुमान लगाया है। कर्नाटक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि समस्त राज्यों के बांध एवं जलाशय लगभग जल रहित हो चुके हैं, कम बारिश होने पर उनके आगे आने वाले दिनों में भी जल से परिपूर्ण होने की संभावना नहीं बनती। आज आवश्यकता है कि हम अपने जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हुए वर्षा के अधिकाधिक/समस्त जल को संरक्षित करें तथा वर्षा जल की एक बूंद को भी व्यर्थ में बहने न दें, तभी हमारा प्रयास सार्थक होगा और जल समस्या से मुक्ति मिलेगी अन्यथा भयंकर परिणाम सामने होंगे। ❑❑

दूसरों का मुंह ताकने का समय समाप्त

चुनावी जोश के नीचे दबा सूखा, अब सूर्खियों में आ गया है। केंद्र सरकार ने भले ही सूखा घोषित न किया हो, वर्ष 2018 की तुलना में इस वर्ष चार गुना अधिक सूखा है। भारत के 42 फीसदी भू–भाग के सूखाग्रस्त होने का आंकड़ा मार्च अंत में ही आ गया था। 6 फीसदी भू–भाग पर इसका दुष्प्रभाव, बेबसी की हद तक पहुंच गया है। 31 मई की रिपोर्ट में देश के 91 मुख्य जलाश्यों में मात्र 20 फीसदी यानि 31.65 अरब क्युबिक मीटर पानी ही शेष बताया गया। सूखे की निगरानी करने वाले बता रहे हैं कि पिछले 30–40 वर्षों की तुलना में यह सबसे अधिक दुष्प्रभावी सूखा है। पिछली शताब्दी तक यह सूखा, औसतन हर 08–09 साल में आता था; वर्ष 2016 से लगातार आ रहा है। जीडीपी के गिरकर 6 फीसदी तक पहुंच जाने का खतरा पैदा हो गया है।

इस वर्ष सूखे का सबसे ज्यादा नुक़सान तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड तथा पूर्वोत्तरी हिस्से की 50 करोड़ आबादी को हुआ है। प्यास बुझाने की आस आकर, टैंकरों पर टिक गई है। मवेशी पानी–चारे की खातिर दर–दर भटक रहे हैं। जंगली जीव, गांवों की तरफ बढ़ते देखे रहे हैं। अपनी ज़मीन पर बने बांध का पानी, शहर को देने के विरुद्ध ज़िला औरंगाबाद के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। गांव सिकुड़ने को तैयार बैठे हैं, शहर फैलने को। किसान और कृषि मज़दूर, नई आय की तलाश में नगरों की ओर रुख कर रहे हैं। सूखा प्रेरित पलायन, परावलंबन और विवाद अब महीना–दो महीना नहीं, साल भर की बेबसी बनते जा रहे हैं। इससे जनसंख्या वितरण व पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग व उपलब्धता के बीच असंतुलन का खतरा और अधिक बढ़ गया है। आई.आई.टी. इंदौर और गुवाहटी का संयुक्त अध्ययन बताता है कि भारत के पांच में तीन जिले सूखे का सामना करने को तैयार नहीं है। यही हाल रहा तो हम अगला आम चुनाव होने पर पानी के स्थाई संकट से ग्रस्त देश होंगे।

प्रदूषण निवारण की समझ और लोकदायित्व का बोधमार्ग भी इसी से प्रशस्त होगा। इससे भाजपा घोषणापत्र में घोषित 'जल–जीवन मिशन' भी पूरा होगा और संसदीय लोकतंत्र को पंचायती लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का संविधान सभा का संकल्प भी।

– अरूण तिवारी

राहत नहीं, निवारण बने प्राथमिकता

...तो क्या करें? वैश्विक तापमान में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का रोना रोयें? पानी प्रदूषित होने से भूजल की निकासी को दोष दे? सरकारों को गाली दें? सरकारों को विवश करें कि वे हर खेत को नहर की नाली से जोड़ दें? हर घर तक पाइप से पानी पहुंचा दें? इसके लिए और अधिक बांध व नहरें बना दें? एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ दें? स्वच्छ पानी पिलाने के लिए हर घर में आर.ओ. प्यूरिफायर लगा दें? नुक़सान बचाने के लिए हर फसल की बीमा करा दें? इन सभी का बजट बढ़ा दें??

नहीं। ऐसा कुछ न करें। 500 एम.जी. प्रति लीटर टीडीएस से नीचे यानि पानी ज्यादा खारा न हो, वहां आर.ओ. को नुक़सानदेह मानकर, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने हाल ही में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। नदी जोड़ की बुंदेलखण्डी परियोजना की नदी बेतवा को

पानी देने वाली केन सूखने के कगार पर है। बांधों और नहरों के नाम पर आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे बड़ा बजट खाने वाला महाराष्ट्र आज सर्वाधिक जल संकटग्रस्त राज्य है। हर घर में नल वाली राजधानी दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई आदि में बाजारु पानी पर निर्भरता बढ़ गई है। स्पष्ट है कि फोड़ा अब नासूर बन चुका है। ज़रूरत, राहत की नहीं, रोग की जड़ पर जाकर उसका मूलनाश करने की है।

गवर्नेन्स की अनदेखी अनुचित

अतः क्या करना है; इस प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए सबसे पहले स्वयं से पूछें कि जिस कर्नाटक ने अगस्त, 2018 में बाढ़ देखी, उसी कर्नाटक को महज् चार महीने बाद यानि जनवरी, 2019 में कुल 176 में से 156 तालुके सूखाग्रस्त क्यों घोषित करने पड़े। समझें कि वर्तमान सूखा, कम सुविधा के कारण नहीं, अधिक उपभोग के कारण पैदा हुआ है। भारत का भूजल स्तर 65 फीसदी तक गिर गया है।

जल दोहन के मामलों में हमने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है लेकिन जल संचयन की दौड़ में हम लगातार पिछड़ते राष्ट्र हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट में दर्ज यह तथ्य बताता है कि यह सूखा, बारिश की कमी से नहीं, कम संचयन, अधिक जल निकासी, अधिक दुरुपयोग से उत्पन्न असंतुलन का नतीजा है। यह असंतुलन, पानी की गवर्नेन्स की अनदेखी से उपजा है। अतः समाधान करना है तो सबसे पहले पानी प्रबंधन करने वाली व्यवस्था सुधारें; गवर्नेन्स के पिरामिड को उसके उचित आधार पर ले आएं। सिंचाई और उद्योग– पानी के दो सबसे बड़े उपभोक्ता है। इन दोनों से संबंधित वर्गों द्वारा अपनी ज़रूरत के पानी का इंतज़ाम की जवाबदेही खुद अपने हाथ में लेने को प्राथमिकता पर लाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं।

'अपनी सरकार' बने जवाबदेह

हम, भारत के नागरिक भूल गए हैं कि जीवन के लिए जरूरी पानी हासिल होना यदि हमारा संवैधानिक अधिकार है तो इसकी सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य भी है। अतः सबसे पहले हम केंद्र व राज्य सरकारों की ओर ताकना बंद करें। हम स्मरण करें कि प्रत्येक गांव व नगर में एक तीसरी सरकार भी होती है– अपनी सरकार यानि गांव सरकार व नगर सरकार। क्रमशः 73वें व 74वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायतों व नगर–निगमों को यही दर्जा प्राप्त है। ग्रामसभा– गांव की सरकार है, पंच– उसका मंत्रिमण्डल तथा प्रधान– उसका प्रधानमंत्री। इसी संवैधानिक दर्जे के अनुसार, ग्राम पंचायत व नगर–निगमों की परिधि में आने वाले सार्वजनिक जल–स्त्रोतों तथा संसाधनों के प्रबंधन तथा आबादी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी तथा उपयोग के अधिकार 'अपनी सरकार' यानी ग्राम पंचायत और नगर–निगमों के है। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत व नगर निगम में जल प्रबंधन संबंधी समिति का प्रावधान है। कृषि जैसे संबंधित विषय भी इसी समिति के अधिकार क्षेत्र में हैं। पंचायतीराज विकास योजना के तहत् जारी मुक्त निधि, गांव सरकार को अपने सपने के गांव की पंचवर्षीय योजना बनाने तथा मंजूर करने का सर्वोपरि अधिकार व वित्त देती है। केंद्रीय आवंटन में भी अब तीसरे स्तर की सरकारों की वित्तीय हक़दारी सुनिश्चित कर दी गई है। अब समय आ गया है कि हर गांव.. हर नगर अपने पानी का लेखा–जोखा, तद्नुसार नियोजन, उपयोग का अनुशासन तथा क्रियान्वयन खुद अपने हाथ में ले।

राज्य बनें सहायक

निर्णय और निर्वाहन की दृष्टि से पानी, राज्य का विषय है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पेयजल व्यवस्था व वित्त को सीधे संबंधित ग्राम वार्ड समिति को सौंपने तथा समिति का पदेन सचिव खुद चुनने के अधिकार संबंधी निर्णय नवम्बर, 2016 में पहले ही ले लिया था। सभी राज्य सरकारों को चाहिए कि गांव–नगर सरकारों के जलाधिकार तथा स्थानीय प्रबंधन दायित्वों के निर्वाहन मार्ग में मौजूद सभी शासकीय–प्रशासकीय बाधाओं को दूर करें।

एक बाध्यता ज़रूरी

गांव–नगर की अलग–अलग स्तरीय जल संबंधी समितियों के लिए एक बाध्यता अवश्य हो कि वे क्षेत्र पंचायत/नगर वार्ड क्षेत्र स्तर पर जल–निकासी की एकसमान अधिकतम गहराई तय करे। किसी भी व्यक्ति को उससे नीचे से भूजल निकालने की अनुमति, सिर्फ लगातार पांच साला सूखे से उत्पन्न आपातस्थिति में ही हो। पानी से पैसा कमाने वाले पेयजल, शीतल पेय व शराब उद्योगों को तो कभी नहीं। यह गहराई, 'डार्क ज़ोन' घोषित किए जाने के लिए तय गहराई से हर हाल में कम से कम 10 फीट कम ही हो। इसका पालन नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के शासकीय योजना लाभ वापस लिए जा सकें तथा एक ग्रामसभा में 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा ऐसा करने पर ग्राम पंचायतों को वित्तीय आवंटन रोक दिए जाए।

वर्षा ऋतु से पहले का समय है। सड़क आदि जिस भी काम के लिए मिट्टी चाहिए; चिन्हित तालाबों के तल को गहरा करके वहां से लेने के शासनाादेश तत्काल जारी हों। इससे जल संचयन–निकासी का संतुलन भी सधने लगेगा और जलोपयोग का लोकानुशासन भी। भूजल–स्तर ऊपर उठेगा, तो प्रदूषण स्वतः नियंत्रित होने लगेगा। प्रदूषण निवारण की समझ और लोकदायित्व का बोधमार्ग भी इसी से प्रशस्त होगा। इससे भाजपा घोषणापत्र में घोषित 'जल–जीवन मिशन' भी पूरा होगा और संसदीय लोकतंत्र को पंचायती लोकतंत्र की दिशा में ले जाने का संविधान सभा का संकल्प भी। ❑❑

पानी की बर्बाद रोके सरकारी तंत्र

जल है तो जीवन है। इस पंक्ति को हम सबने बचपन से पढ़ा और सुना है और आजकल तो आस–पास के माहौल में देखने को भी मिल जाता है। किसी भी जीव, जन्तु एवं प्राणियों के जीवन का निर्वहन बिना जल के मुमकिन नहीं है और इसके बिना संसार का कोई अस्तित्व भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से जल संकट हिन्दुस्तान के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर उभरा है। इतना ही नहीं हमारे मुल्क में 40 फीसदी पानी का स्त्रोत भूजल है। हालांकि सरकार और सामाजिक संस्थाएं लगातार जल संरक्षण के लिए एहतियातन कदम उठा रहे हैं और लोगों को पानी की फिजूलखर्ची से रोक भी रहे हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली पानी की समस्या से जूझ रहे हैं।

कई स्थानों पर ऐसा देखा गया है कि पानी के लिए लोग घंटों पैदल चलते हैं और फिर वहां पर भी उन्हें मुश्किल से पीने लायक ही पानी मिल पाता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो भूगर्भ विभाग के सर्वे के मुताबिक अप्रैल माह में स्थिति बिगड़ चुकी थी और 10 हजार 366 गांवों में पानी का स्तर बेहद कम हो गया है। इन गांवों में से 2100 गांव तो ऐसे हैं जहां पीने लायक पानी न के बराबर है। मौसम की मार से पनपे ये हालात मानसून की देरी के चलते दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं।

हालांकि प्रदेश सरकार जल के अभाव वाले स्थानों में पानी पहुंचाने के लिए बांधों का रास्ता भी बदल रही हैं। जबकि प्रदेश सरकार ने बारामती इलाके में जाने वाले नीरा देवघर बांध के पानी का बहाव रोककर इसकी आपूर्ति राज्य के कुछ ऐसे इलाकों में करने का फैसला किया है, जहां जल का अभाव है। प्रदेश का हाल इतना बेहाल है कि 72 फीसदी जिलों में सूखा पड़ा है और करीब प्रदेश के 4,920 गांवों और 10,506 हैमलेट में 6,000 से अधिक टैंकर रोजान पानी की आपूर्ति करते हैं।

कर्नाटक की बात की जाए तो वहां के 80 फीसदी जिले पानी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो वहीं कई जिलों के स्कूलों को एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। जबकि तमिलनाडु सरकार ने कई आपातकालीन जल परियोजनाओं के लिए 233 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। क्योंकि चेन्नई में पानी की कमी को पूरा करने वालों जलाशयों में पानी उनकी क्षमता से 1 फीसदी और कम हो गया है। जिसके बाद पनपे हुए जल संकट को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। वहीं प्रदेश सरकार ने चेन्नई मेट्रो के काम को भी फिलहाल रोक दिया है।

हाल ही में डीईडब्लूएस द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 30 मई, 2019 तक देश का 43.4 फीसदी से अधिक हिस्सा सूखे की चपेट में आ गया था। न तो गर्मी कम होने का नाम ले रही है और न ही राजस्थान में मौसम बदला है। राजस्थान का चुरू गांव सबसे ज्यादा तप रहा है और इस तपिश में तप रही है वहां की जनता। प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गई है कि दिन–प्रतिदिन हैंडपंप और कुएं सूखते जा रहे हैं और सरकार भी जल की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। आलम कुछ ऐसा है कि 10–10 दिन बीत जाते हैं तब ग्रामीण इलाकों में पानी के टैंकर उपलब्ध हो पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि प्रदेश में जल का स्त्रोत कहे जाने वाले 284 में 215 बांध तो पूरी तरह से सूख गए हैं।

राजधानी दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बीते दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शीला दीक्षित ने मुलाकात की और पानी की समस्याओं से निपटने के लिए योजना बनाई। लेकिन क्या इन योजनाओं का असर लीकेज पाइपलाइनों पर पड़ेगा। क्योंकि जहां एक तरफ दिल्लीवासियों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ टूटी–फूटी पाइपलाइनों की वजह से पानी बर्बाद हो रहा है। जलबोर्ड के मुताबिक मुख्य जल वितरण की लाइन करीब 1400 किमी की है जिसका अधिकांश हिस्सा 40 से 50 साल पुराना है जिसकी वजह से रिसाव की समस्या देखने को मिल रही है। ❑❑

– अनुराग गुप्ता

प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि का आधुनिकीकरण एवं उत्पादकता में वृद्धि

भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। कृषि क्षेत्र से देश के लगभग 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय की गणना के सकल घरेलू आय अनुसार देश की कुल जीडीपी में कृषि उत्पादों की भागीदारी जो वर्ष 1950–51 में 51.9 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2017–18 में दो अंकों के नीचे आ गई है। कृषकों की आय में कमी और उन पर बढ़ता आर्थिक कर्ज इसके मुख्य कारण रहे हैं। वर्ष 2003 में तत्कालीन केन्द्र सरकार (यूपीए) द्वारा मोन्सेंटो, कारगिल, मिडलैण्ड, डेनियल्स, आर्चर, आदि विदेशी कंपनियों को सब्सिडी, कर छूट व भूमि अधिग्रहण जैसे लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से कृषि विपणन (Marketing) में अनुबंध (Contract farming) के आधार पर निजी कॉरपोरेट कंपनियों को भागीदारी दी गई। निजी क्षेत्र अल्पकाल में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये कृषि जैसे क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के लिये प्रयास नहीं करते। अतः 2003 से 2013 के दशक में कृषि ऋण एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे प्रावधान तथा कृषि विस्तार सेवायें प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी। निजी कंपनियों से अनुबंधित कृषि क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और पशुधन के माध्यम से होने वाली विविध आजीविका समाप्त हो गयी। देश में एकल कृषि (Mono Agriculture) का प्रचलन हो गया। विश्व व्यापार संगठन एवं विदेशी कंपनियों के दबाव में श्रम विस्थापन से कृषक हाशिये पर डाल दिये गये और कृषि उत्पादन प्रक्रिया ठप्प हो गई।

प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण से कृषि को एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। कृषि के औद्योगिकीकरण के लिये फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को एआई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है।

– डॉ. रेखा भट्ट

दूसरी ओर, अनियमित वर्षा जलवायु परिवर्तन व घटते भू–जल स्तर की समस्या के कारण कृषकों को उत्पादकता में कमी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार व श्रमिक कार्यों के लिये कृषकों का शहरों की ओर पलायन बढ़ने लगा है। दूसरी ओर, 2013 तक बढ़ी हुई जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र असमर्थ रहा।

वर्तमान स्थिति में किसानों को व्यवहारिक रूप से उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा व सहायता प्रदान करना देश की अर्थव्यवस्था को आगे लाने के लिये आवश्यक हो गया है। किसानों के लिये तकनीकी प्रगति के साथ समन्वय करते हुए कृषि में प्रौद्योगिकी की सहायता से पैदावार बढ़ाने के प्रयास करने होंगे। प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी। इससे खाद्य कीमतों में कमी आयेगी और पूरे देश को खाद्यान्न आपूर्ति संभव होगी। वैश्विक स्तर पर अनुमान के अनुसार कृषि प्रौद्योगिकी से फसल पैदावार 67 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। विकासशील देशों में भूख और कुपोषण दूर करने व खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में खाद्य पदार्थों की ऊँची कीमतें बाधक होती है। प्रौद्योगिकी के संयोजन से पारंपरिक खेती द्वारा मक्का की खाद्य कीमत 49 प्रतिशत तक कम हो सकती है। गेहूँ और चावल की फसल उत्पादकता में क्रमशः 43 और 45 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

जापान में 1980 के दशक से कृषि में ड्रोन का उपयोग शुरू किया जा चुका है। यह तकनीकी हजारों एकड़ के विशाल कृषि क्षेत्र के पौधों का सर्वेक्षण कर किसानों को कृषि प्रबंधन में सहयोग करती है। 2027 में खेतों की हवाई निगरानी के लिये Sky squirrel तकनीकी को बढ़ाने का उपयोग बढ़ने से ड्रोन की खरीद 480 मिलियन डॉलर पहुँचने का अनुमान है। यह हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग के साथ रिमोट सेंसिंग तकनीक और फसल मैट्रिक्स बनाने के लिये 3डी लेजर तकनीक का उपयोग करता है।

फसल और मिट्टी के पोषण करने व संक्रमण से रोकथाम में किसान की सहयोगी बन रही है, उपग्रह या मशीन विजन तकनीक जो अगले पांच वर्षों में विश्व व्यापी हो जायेगी। ड्रोन और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी द्वारा फसल और मिट्टी के पोषण का निरीक्षण व परीक्षण किया जाता है तथा प्राप्त डेटा को कम्प्यूटर विजन और डीप लर्निंग एल्गोरिद्म का उपयोग करते हुए संसाधित किया जाता है। नॉर्थ कैरोलाइन (स.रा.अ.) में स्थित स्टार्टअप 'फार्म शॉट्स' उपग्रह व ड्रोन से प्राप्त छवियों के आधार पर कृषि डेटा उत्पन्न करता है और पौधों में पोषक तत्वों की आवश्यकता का पता लगाता है। इस तरह खेत में आवश्यक स्थानों पर उर्वरक की सटीक (Precise) मात्रा का उपयोग करने से उर्वरकों की 40 प्रतिशत मात्रा की बचत होती है। यह मोबाइल ऐप के माध्यम से ऐसे क्षेत्र जहाँ फसलों को पानी व उर्वरक की आवश्यकता होती है, वहाँ संसाधनों के अनुकूलन में किसानों की मदद करता है। बिना सिंचाई के इस ऐप निर्देशन में गेहूँ की उष्ण सहिष्णु किस्मों में सटीक सिंचाई से 2050 तक 67 प्रतिशत, जबकि मक्का की 17–23 प्रतिशत पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मिट्टी की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाकर चावल पैदावार में 22 प्रतिशत

भारत के अधिकांश भागों में कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन में अनियमितता व ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में अचानक वृद्धि से वर्षा के स्तर में बदलाव अथवा भूजल घनत्व में परिवर्तन किसानों की उपज को प्रभावित करते हैं।

वृद्धि संभव है। उर्वरकों के लगातार असीमित मात्रा में उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी उपज को कम कर देती है। बर्लिन स्थित कृषि तकनीकी स्टार्ट अप PEAT ने प्लाटिक्स ऐप दिया है जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिद्म द्वारा विश्लेषण कर मिट्टी की गुणवत्ता के पुनर्स्थापन के लिये सटीक तकनीक व समाधान देता है। इसी तरह कैलिफोर्निया का ट्रेस जिनोमिक्स ऐप मशीन लर्निंग द्वारा मृदा से दो गज तक बैक्टीरिया कवक या माइक्रो विधि सूक्ष्मजीवी मूल्यांकन करता है और स्वस्थ्य फसल उत्पादन क्षमता विकसित करता है।

अच्छी उपज प्राप्त करने के लिये जैविक विधि से खरपतवार नियंत्रित करना किसानों के समक्ष सदैव चुनौती पूर्ण रहा है। खरपतवार को पहचानने और खरपतवार नाशक स्प्रे करने के लिये ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी कम्प्यूटर विज़न का उपयोग करती है। सटीक छिड़काव द्वारा 80 प्रतिशत खरपतवार नाशकों की मात्रा में बचत होती है जो 90 प्रतिशत तक फसलों पर लागत कम करती है। साथ में खरपतवार नाशकों के प्रति उत्पन्न होने वाली प्रतिरोधकता को रोकने में मदद करती है। कम्प्यूटर विज़न प्रौद्योगिकी द्वारा किसी एक पौधे में रोग या कीट की पहचान कर उसे उपचारित कर देने से पूरी फसल संक्रमित होने से बचा ली जाती है। इस तरह जैविक खेती को बढ़ावा देने में सहयोगी तकनीक है।

कृषि दक्षता के लिये सबसे व्यापक और स्थापित अनुप्रयोग है रोबोट, जो अगले पाँच वर्षों में सभी प्रकार के कृषि कार्यों को दक्षतापूर्वक करने के लिये विकसित कर दिये जायेंगे। विशाल कृषि क्षेत्र में फसल काटने, खरपतवारों की छंटनी करने, उपज इकठ्ठी करने, फसल निगरानी जैसे कृषि कार्यों को कृषि रोबोट द्वारा आसान बनाये जाने से कृषकों के समय और श्रम की बचत हुई है।

गत वर्षों के मौसम पैटर्न, मिट्टी की रिपोर्ट, वर्षा, कीट संक्रमण, ड्रोन सैटेलाइट या कैमरों से उपलब्ध चित्र आदि इनसे संबंधित प्रतिदिन भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होते हैं जो संरचित व असंरचित दोनों प्रारूपों में उपलब्ध होते हैं। सीखने व समझने पर आधारित IoT (Internet of Things) समाधान इन सभी डेटा विषेशज्ञों से उपज में सुधार के लिये महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करता है। रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी और या निकट सेंसिंग के साथ इन्टेलिजेन्स डेटा संलयन किया जाता है। डेटा संग्रह सॉफ्टवेयर को रोबोटिक्स के साथ संयुक्त उपयोग कर सटीक खेती द्वारा अधिकतम उत्पादन का लाभ प्राप्त होता है। कम्प्यूटर विजन से फसलों व खेती की स्कैनिंग के साथ ड्रोन डेटा और IoT कम्प्यूटिंग तकनीक संयुक्त रूप से किसानों की अग्रिम कार्यवाही को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं और कृषकों के लिये कृषि सेवाओं के अचूक विकल्प प्रदान करते हैं।

उपज बढ़ाने के लिये मौसम पूर्वानुमान, बुवाई निर्धारण, कीट नियंत्रण और मूल्य नियंत्रण संबंधी सुझाव एवं

समाधान देने संबंधी मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेजरी और उन्नत एनालिटिक्स जैसी प्रौद्योगिकी किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। डिजिटल कृषि को कृषि कार्यों में अनिश्चितता और अन्य खतरों को कम करके कृषि को स्थिरता प्रदान करने और कृषकों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनाया जा सकता है। मौसम पूर्वानुमान के लिये awhere कंपनी, उपग्रह के माध्यम के साथ–साथ मशीन लर्निंग एल्गोरिद्म का उपयोग करती है तथा संबंधित खेतों के लिये किसानों को मोबाइल के माध्यम से स्थानीय सूचनाएँ प्रदान करती है। दैनिक मौसम के अनुरूप यह तीव्रता से अपडेट होती रहती है और तापमान, वर्षा, हवा की गति, सौर विकिरण संबंधी कृषि विज्ञान संबंधी आंकड़े प्रदान करती है।

भारत के अधिकांश भागों में कृषि पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन में अनियमितता व ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में अचानक वृद्धि से वर्षा के स्तर में बदलाव अथवा भूजल घनत्व में परिवर्तन किसानों की उपज को प्रभावित करते हैं। 1980 से 2008 तक जलवायु परिवर्तन पर हुए शोध के मूल्यांकन के अनुसार विश्व स्तर पर मक्का की उपज में 3.8 प्रतिशत और गेहूँ की उपज में 5.5 प्रतिशत तक कमी हुई हैं।

नमी पर्याप्तता सूचकांक (MAI) के आधार पर बुवाई अवधि निर्धारित की जाती है। Moisture Availability Indicator (MAI) फसलों को आवश्यक पानी की मात्रा उपलब्ध करवाने के लिये वर्षा और मिट्टी की नमी की पर्याप्तता का मानक आकलन प्रदान करता है। पिछले एक दशक में ऋतु समयान्तराल में आई अनियमितताओं के कारण मानसून में देरी होने से या अप्रत्याशित मानसून आने से बुवाई के प्रारंभिक समय में बीजों और उर्वरकों के नष्ट हो जाने से फसलों का भारी नुकसान हुआ।

आन्ध्र प्रदेश के देवनकौंडा क्षेत्र में 1986 से लेकर 2015 तक के जलवायु आंकड़ों का मौसम पूर्वानुमान मॉडल द्वारा विश्लेषण करके 2016 में फसल बुवाई की अवधि निर्धारित की गई। Sowing एप के माध्यम से डाउनस्कॉल द्वारा किसानों को 25 जून के पश्चात् बुवाई सप्ताह चुनने की सलाह दी गई। साथ ही मिट्टी परीक्षण पर आधारित खाद, बीज उपचार, बुवाई की गहराई आदि आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। 2017 में आंध्र व कर्नाटक के किसानों द्वारा खरीफ फसलों (मूंगफली, रागी, मक्का, चावल) की उपज में अगस्त माह के लम्बे सूखे का सामना करने से बचा कर 30 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त की गई। फसलों पर होने वाले कीटों के प्रकोप की पूर्व सूचना किसानों को बहुत बड़े नुकसान से बचाती है। कीट प्रकोप के पूर्वानुमान ऐप, मशीन लर्निंग द्वारा पहले से फसलों पर कीटों के आक्रमण को सूचित कर देता है। यह ऐप व्हाइट फ्लाइज़, जैस, जसिड्स, थ्रिप्स और एफिड्स जैसे आम कीट जो फसलों को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं उनके निवारण हेतु किसानों को अग्रिम कार्यवाही व योजना प्रदान करता है। गत वर्ष तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई गांवों में मौसम की स्थिति व फसलों की अवस्था के आधार पर किसानों को वॉयस कॉल द्वारा कपास की फसलों पर कीटों के हमले से सावधान किया गया और कपास की फसल नष्ट होने से बचाया गया।

पूर्वानुमान विश्लेषण का लाभ मौसम परिवर्तन व कीट नियंत्रण द्वारा फसल सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। फसल पकने का सही समय, उत्पादन की मात्रा और मूल्य निर्धारण पूर्वानुमान में भी प्रौद्योगिकी कृषकों की मददगार होती है। कर्नाटक में किसानों को फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता था, किन्तु अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP, Minium Supportive Price) योजना के तहत पिछले मूल्य डेटा और अल्पकालिक आवक का उपयोग किया जाता है और बाजार के रूझान, बाजार के अपेक्षित मूल्य और उपभोक्ता द्वारा खरीद की स्थिति जैसे कारकों का पूर्वानुमान कर लिया जाता है। तुअर की फसल जिसके उत्पादन में कर्नाटक दूसरे स्थान पर है, का MSP योजना के तहत तीन माह पूर्व ही मूल्य निर्धारण कर लिया जाता है। किसानों को उच्च मुद्रा स्फीति से बचाया जा सके और लागत सहित उपज का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो सके, इसके लिये एक मल्टीवेरियेंट कृषि जिंस मूल्य पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है। जो खेती के प्रत्येक चरण की भू–स्थित के उपग्रह (Geostationary Satellite) चित्रों के साथ रिमोट द्वारा सीधे डेटा संग्रह करता है। इन डेटा के साथ गत वर्षों में उत्पादन, उपज, बाजार आगमन तक रहे निर्धारित मूल्यों के डेटा एनालिटिक्स के आधार पर फसल के मापक व समयानुसार मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि के आधुनिकीकरण से कृषि को एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। कृषि के औद्योगिकीकरण के लिये फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों को एआई द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। भारत में परिवर्तनशील जलवायु स्थितियों के अतिरिक्त सूखा व गर्मी सहिष्णु फसलों का उत्पादन, उर्वरकों के सटीक (Precise) उपयोग द्वारा मिट्टी की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता बढ़ाना, खरपतवारों, कीटों और फसल रोगों से सुरक्षा प्रदान करना जैसी चुनौतियों का सामना करने में किसानों को एआई प्रौद्योगिकी सक्षम बनायेगी। ❑❑

लेखिका राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में रसायन विज्ञान की सहआचार्य है।

सरकार के इस फैसले के खिलाफ खड़ा हुआ स्वदेशी जागरण मंच

स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार द्वारा 92 सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश करने के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके लिए सरकार को चेताया है। इस प्रस्ताव में एयर इंडिया और बीएसएनल जैसी संकटग्रस्त कंपनियों का विनिवेश भी शामिल है। पुणे में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक में स्वदेशी जागरण मंच ने इस बारे में प्रस्ताव पारित कर मोदी सरकार से पुनर्विचार का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने 92 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) का प्रस्ताव रखा है। इसका सुझाव नीति आयोग ने दिया था। स्वदेशी जागरण मंच की दो दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक पुणे में संपन्न हुई है।

नीति आयोग के सुझाव पर इनवेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट विभाग (DIPAM) ने इस साल विनिवेश के लिए 92 सीपीएसई की सूची तैयार की है। इस प्रक्रिया में यह प्रस्ताव रखा गया है कि कुछ कंपनियों में 'रणनीतिक हिस्सेदारी' बेची जाए और कुछ कंपनियों का एसेट बेचा जाए। एयर इंडिया की तीन पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (AIATSL), एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) और एलायंस एयर सर्विसेज लिमिटेड (AASL) को फिर से विनिवेश सूची में रखा गया है।

सरकार की विनिवेश नीति के बारे में सख्त शब्दों वाले प्रस्ताव में स्वेदशी जागरण मंच ने कहा कि एयर इंडिया अब सही रास्ते पर है और इसका अस्तित्व तीनों सब्सिडियरी कंपनियों पर निर्भर करता है। इन सहायक कंपनियों के विनिवेश से एयर इंडिया की समस्या और बढ़ सकती है।

स्वेदशी जागरण मंच ने बीएसएनएल के विनिवेश का भी विरोध किया है। एसजेएम का कहना है कि भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के मुनाफे वाले ब्रॉडबैंड सेवाओं और टावर एसेट को अलग कर दो नई सब्सिडियरी बना दी गई हैं और अब उन्हें 'रणनीतिक बिक्री' के तहत बेचा जा रहा है। इससे सरकार को कुछ करोड़ तो मिल जाएंगे, लेकिन बीएसएनल को भारी नुकसान होगा।

एसजेएम ने कहा कि सरकार को अपने इन प्रस्तावों पर पुनर्विचार करना चाहिए। दिलचस्प है कि पिछले साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया में विनिवेश का समर्थन किया था। हालांकि, उन्होंने ऐसा कहते हुए यह भी कहा था कि एयर इंडिया का मालिकाना किसी भारतीय कंपनी को ही दिया जाए, जो इसे बेहतर तरीके से चला सके।

इस साल जनवरी में तत्कालीन नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा था कि सरकार एयर इंडिया के विनिवेश के लिए प्रतिबद्ध है और एयर इंडिया की अनुशंगी कंपनियों की बिक्री के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है।

https://aajtak.intoday.in/story/rss-economic-wings-sjm-cautions-modi-govt-on-proposed-air-india-bsnl-disinvestment-plans-dat-1-1091532.html

मॉन्सैंटो कर रही कंपीटिशन एक्ट का उल्लंघनः स्वदेशी जागरण मंच

भारी बहुमत के साथ वापस आने के बाद स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) की ओर से सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। इस बार स्वदेशी जागरण मंच के निशाने पर मल्टीनेशन कंपनियां हैं। मॉनसैंटो जैसी मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से कथित तौर पर बाजार के कंपीटिशन नियमों के उल्लंघन की शिकायत करते हुए स्वदेशी जागरण मंच ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में मंच ने आरोप लगाया है कि बीटी कॉटन बीजों की मनमानी कीमत वसूलने वाली महिको मॉन्सैंटो बायोटेक लिमिटेड (एमएमबीएल) के खिलाफ कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) द्वारा धीमी गति से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आरोप लगाया गया है कि कृषि मंत्रालय का भी इस मामले में ढुलमुल रवैया रहा है। मंच का कहना है कि मॉन्सैंटो द्वारा कंपीटीशन एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने पत्र में कहा है कि कंपीटिशन एक्ट, 2002 को एंटी–कंपीटिशन समझौतों पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था ताकि प्रमुख उद्यमों द्वारा स्थितियों का

दुरुपयोग ना किया जा सके।

पत्र के मुताबिक, कंपीटिशन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधियों को समाप्त करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सीसीआई का कर्तव्य है। सीसीआई को प्रतियोगिता के मुद्दों पर राय देने की भी जरूरत होती है।

मंच का कहना है कि सेक्शन 19 (1) (बी) के तहत, सीसीआई को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा किए गए एंटी–कंपीटिशन समझौतों के बारे में पूछताछ करनी होती है। अगर किसी समझौते का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो सीसीआई को इन फैक्टर को देखना होता है कि बाजार से मौजूदा प्रतियोगी बाहर तो नहीं हो रहे हैं। उपभोक्ताओं का लाभ हो रहा है या नहीं। वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान में सुधार हो रहा है। वस्तुओं के उत्पादन या वितरण या सेवाओं के प्रावधान द्वारा तकनीकी, वैज्ञानिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। यह सुनिश्चित करना कि कॉर्पोरेट्स द्वारा नागरिकों का शोषण तो नहीं किया जा रहा है। सीसीआई से अपेक्षा की जाती है कि वे इन संदर्भों पर ध्यान दें।

पत्र के मुताबिक, 'बीटी कॉटन बीज की मार्केटिंग में मॉन्सेटों और इसकी दो संबद्ध कंपनियों महिको मॉन्सेंटो बायोटेक (इंडिया) लिमिटेड और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (MAHYCO) द्वारा कंपीटिशन नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है और सीसीआई इनके खिलाफ कार्रवाई करने में सुस्ती दिखा रही है। कृषि मंत्रालय ने भी मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझा।' डॉ. अश्वनी महाजन के मुताबिक, 'इकॉनमिक टाइम्स की हालिया रिपोर्ट में कहा गया था कि डीजी (इन्वेस्टिगेशन) ने पाया था कि मॉन्सैंटो कंपीटिशन एक्ट का उल्लंघन कर रही है।'

महाजन के अनुसार मॉन्सैंटो ने मनमाने तरीके से किसानों से लगभग आठ हजार करोड़ रुपए ज्यादा इकट्ठे किए हैं। इसकी जांच में तीन वर्ष से अधिक का समय लगा। हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सीसीआई से संपर्क करें, जिससे कार्रवाई में तेजी आए और कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा मिल सके क्योंकि इसमें किसानों का भविष्य दांव पर लगा है।'

https://www.outlookhindi.com/business-and-economy/general/sjm-writes-pm-modi-alleges-that-monsanto-company-found-guilty-of-violating-cci-act-by-report-of-dg-cci-37892

राज्य में पॉलीथिन पाबंदी की मांग

स्वदेशी जागरण मंच, राउरकेला ने पूरे राज्य को पॉलीथिन मुक्त बनाने के लिए व्यापक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। संगठन से जुड़े पदाधिकारी एडीएम कार्यालय पहुंचे और इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर शीघ्र पूरे राज्य में इस

पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया।

स्वदेशी जागरण मंच की ओर से कहा गया है कि पॉलीथिन के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। इसके कारण जल, वायु, मिट्टी दूषित हो रही है एवं इसका उपयोग करने वालों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। पालतु पशु भी इससे खाकर मर रहे हैं। इस पर पाबंदी नहीं लगने से जमीन की उर्वरता नष्ट हो जाएगी। सरकार की ओर से गांधी जयंती से राज्य के 6 महानगरों में पॉलीथिन पर पाबंदी लगाई गई है। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से इस पर पाबंदी लगाकर राज्य को प्रदूषण मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। इसमें जिला संयोजक धनंजय पंडा, मनोज नायक, रमाकांत पात्र, दिलीप पटनायक, भीमसेन नायक, जयंत प्रधान, भरत गौड़, टेगलाल साहू, सत्यव्रत पंडा, जितेन्द्र पंडा, मनोज कुमार महापात्र, आलोक कुमार पात्र,रश्मिरेखा मिश्र, स्वागतिका पंडा, निरुपमा पात्र, भगवान राउत समेत अन्य लोगों ने एडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

https://www.jagran.com/odisha/rourkela-dimond-for-band-of-poluthin-in-city-19304493.html

फ्रांस बढ़ाएगा भारतीय रेलवे स्टेशन की चमक

भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत फ्रांस रेलवे भारतीय रेलवे स्टेशन विकसित करने का काम करेगा। इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (IRSDC) फ्रांस रेलवे के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय डील साइन की है। इस डील के तहत फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी 700000 यूरो यानी 5.4 करोड़ रुपए भारतीय रेवले स्टेशन को बनाने में खर्च करेगी। इस डील से IRSDC या भारतीय रेलवे पर कोई वित्तीय दायित्व का बोझ नहीं होगा।

इस समझौते पर रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगाडी, यूरोप तथा विदेश मामलों के फ्रांस के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमॉयने, भारत में फ्रांस के राजदूत एलेक्जेंडर जीग्लर और फ्रांस दूतावास तथा भारतीय रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

रेलवे के बयान के मुताबिक रेलवे सेक्टर में फ्रांस भारत का बहुत पुरना सहयोगी रहा है। समय–समय पर फ्रांस

रेलवे भारतीय रेलवे की मदद करता रहा है। चाहे वह स्पीड अपग्रेडेशन स्टडी का विषय हो या फिर दिल्ली–चंडीगढ़ सेक्शन का विकास करना हो, लुधियाना और अंबाला जैसे स्टेशनों का विकास करना हो, फ्रांस रेलवे ने मदद की है। फ्रांस रेलवे की मदद से भारतीय रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-INFR-french-railways-will-help-india-to-develop-railway-stations-1560252607.html

अब एटीएम चार्ज खत्म करने की तैयारी में आरबीआई

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एनईएफटी (छम्थ्ज) और आरटीजीएस (त्ज्ळै) पर लगने वाले चार्ज खत्म करने के बाद अब बैंकिंग कस्टमर्स को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। आरबीआई ने ऑटोमेटेड टेलर मशींस (।ज्ड) के इस्तेमाल पर लगने वाले चार्जेस और फीस की समीक्षा के लिए एक कमिटी का गठन किया है। आरबीआई की वेबसाइट पर जारी एक बयान के मुताबिक, यह कमेटी पहली मीटिंग के दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा करेगी। इसी महीने हुई बाई–मंथली मॉनिट्री पॉलिसी में केंद्रीय बैंक ने कहा था कि एटीएम इंटरचेंज फी स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य एटीएम सुविधा से वंचित क्षेत्रों में एटीएम फैसिलिटी को बढ़ावा देना था।

आरबीआई ने डेवलपमेंटल और रेग्युलेटरी पॉलिसीज पर जारी बयान में कहा कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अध्यक्षता में बना पैनल एटीएम चार्जेस और फीस की समीक्षा करेगा।

इस कमेटी में आईबीए के चीफ एग्जीक्यूटिव वी.जी. कन्नन के अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ दिलीप अस्बे, एसबीआई के सीजीएम गिरि कुमार नायर, एडीएफसी बैंक के ग्रुप हेड (लायबिलिटी प्रोडक्ट्स) एस सम्पत कुमार, कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री के डायरेक्टर के श्रीनिवास और टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्युशंस के सीईओ संजीव पटेल शामिल हैं।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-BANK-rbi-ready-to-remove-atm-charges-and-forms-review-pane-1560262370.html

आरबीआई के नए नियमों से फंसे कर्ज से निपटने में मिलेगी मदद

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों से बैंक और वित्तीय संस्थाएं को फंसे कर्ज की समस्या से निपटने में सहूलियत मिलेगी। आरबीआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार कर्जदाताओं के बीच समझौते की अनिवार्य व्यवस्था से बैंक और वित्तीय संस्थाएं अपने फंसे कर्ज की समस्या का समाधान आइबीसी के बाहर भी कर सकते हैं। फंसे कर्ज पर बनी सशक्त समिति ने कहा कि इससे कर्जदाताओं को दबाव वाली संपत्ति की समाधान प्रक्रिया तेज करने में मदद मिलेगी।

पंजाब नेशनल बैंक के नॉन–एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता की अध्यक्षता वाली समिति ने कहा कि कर्जदाताओं के बीच समझौते की जरूरत के जरिए आरबीआइ ने वित्तीय संस्थानों को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (आइबीसी) के बाहर समाधान की रूपरेखा को मंजूरी दी है। समिति के अन्य सदस्यों में एसबीआइ के चेयरमैन रजनीश कुमार, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी व सीईओ पीएस जयकुमार तथा एसबीआइ के डिप्टी एमडी वेंकट नागेश्वर शामिल हैं। समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज के तेजी से समाधान की दिशा में सुझाव दिया है। मेहता ने कहा कि नयी रूपरेखा व्यवहारिक है। इसमें सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखा गया है। एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि आरबीआइ का नया मसौदा बैंक की अगुआई में समाधान की जरूरत को महत्व देता है।

https://www.jagran.com/business/biz-help-in-dealing-with-debt-trapped-by-new-rules-of-rbi-19302299.html

किसानों को मिल सकती हैं और रियायतें, वित्त मंत्री ने की चर्चा

अगले महीने पेश होने वाले बजट को लेकर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की। इसमें किसानों के लिए कर्ज, छूट, उर्वरकों पर टैक्स सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ यह बैठक 23 जून तक चलेगी। बैठक में कृषि विशेषज्ञों और संगठनों ने सुझाव दिया

कि बजट में सरकार को किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। इसमें टैक्स छूट पर राहत के साथ खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उत्पादों के निर्यात पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसानों की आय में इजाफा नहीं किया जा सकता है। किसानों को पशुपालन, मत्स्य पालन और मुर्गी पालन जैसे क्षेत्रों की ओर बढ़ाना देना होगा।

विशेषज्ञों ने कई उत्पादों पर जीएसटी में छूट की भी मांग की, खासकर दुग्ध उत्पादों पर कर की दर 5 फीसदी किए जाने पर जोर दिया। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बताया कि बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। किसानों के संगठन भारत किसान समाज के चेयरमैन अजयवीर जाखड़ ने कहा कि हमारी प्राथमिकता कृषि क्षेत्र में लंबी अवधि का निवेश बढ़ाने की है।

उद्योग संगठन सीआईआई का कहना है कि सरकार बजट में सभी छूट खत्म कर कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 18 फीसदी लाए। इससे खजाने पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कॉरपोरेट टैक्स को 30 फीसदी से 25 फीसदी लाने का वादा किया गया था और 250 करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए इसे लागू भी कर दिया गया है। सीआईआई के अध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर ने कहा कि हम सभी छूट को समाप्त कर कॉरपोरेट टैक्स 18 फीसदी लाने के पक्ष में हैं।

https://www.amarujala.com/business/business-diary/farmers-to-get-more-rebate-in-upcoming-budget-finance-ministry-helds-consultation?src=top-lead

नो बैलेंस खातों के लिए आरबीआई का बड़ा कदम

देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक फैसले के तहत प्राथमिक बैंक खातों (बेसिक सेविंग्स बैंक डिपोजिट – BSBD) खातों के लिए अपने नियमों में काफी बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत अब बेसिक सेविंग्स अकाउंट्स खाताधारकों को भी चेकबुक समेत कई अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। चेकबुक पाने के लिए अब खाताधारक को न्यूनतम 4 बार विदड्रॉल की बाध्यता को भी पूरा नहीं करना पड़ेगा। अहम बात ये है कि इन सुविधाओं को पाने के लिए खाताधारक को बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस भी नहीं रखना होगा। सोमवार को रिजर्व बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों को इसकी जानकारी दी है।

बता दें कि इससे पहले BSBD, जिन्हें No-Frills अकाउंट भी कहा जाता है, बैंक खातों को सामान्य बचत खातों वाली सुविधाएं दी गई थीं। हालांकि तब न्यूनतम बैलेंस बैंक खाते में रखने की शर्त रखी गई थी और अन्य शुल्क भी देने होते थे। जिसे अब रिजर्व बैंक ने हटा दिया है। रिजर्व बैंक ने यह कदम बेहतर ग्राहक सेवा देने के उद्देश्य से उठाया है। रिजर्व बैंक ने अपने बयान में कहा है कि बैंक अब ठैठक खातों के लिए वैल्यू एडेड सेवाओं जैसे चेकबुक जारी करना, मिनिमम बैलेंस में छूट आदि की सुविधाएं अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। इन सुविधाओं के बदले में बैंक ग्राहकों पर कोई चार्ज भी नहीं लगा सकेंगे।

रिजर्व बैंक के अनुसार, प्राथमिक खाताधारकों को जो अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, उनमें एक माह में एटीएम से 4 विदड्रॉल, बैंक शाखा में कैश डिपोजिट और एटीएम कार्ड की सुविधा देना प्रमुख है। साथ ही एक माह में इन प्राथमिक खातों में कितनी और कितनी बार रकम जमा की जानी है, इसके लिए भी कोई सीमा तय नहीं किया गया है। बता दें कि हाल ही में डिजिटल लेन–देन को बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने NEFT-RTGS से होने वाले लेन–देन पर लगने वाले चार्ज को भी खत्म करने का फैसला किया था।

https://www.jansatta.com/business/rbi-reserve-bank-of-india-ease-norms-for-bsbd-no-frills-accounts-customers-get-check-book-atm-without-no-minimum-balance-limit/1048465/

पोस्ट ऑफिस का नया नियम, अब मृतक के पैसे पर दावा करना होगा आसान

पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में अपनी सेविंग्स स्कीम में कुछ बदलाव किए हैं। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अब उसकी अब उसकी सेविंग्स स्कीम के पैसों पर दावा करने के नियमों को आसान कर दिया गया है। अगर अब मृतक ने किसी को अपना नॉमिनी नहीं बनाया है या कोई कानूनी सबूत नहीं है तो भी उसके इंवेस्टमेंट को पाना आसान होगा।

डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 20 मई 2019 को एक आदेश जारी कर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में किसी मृतक के पैसों पर दावा करने के लिए विभिन्न अथॉरिटीज की ताकत में सुधार किए। आदेश में किसी नॉमिनी के रजिस्टर न होने और कोई लीगल एविडेंस उपलब्ध न होने सबंधी आदेश भी शामिल है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी मृतक के

निवेश को उसके उत्तराधिकारी को भुगतान करने से पहले अथॉरिटी को कितना इंतजार करना चाहिए। इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

नए नियमों के मुताबिक, अगर पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वाले किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसने किसी नॉमिनी को रजिस्टर नहीं किया है तो अथॉरिटी को नीचे दी गईं लिमिट्स के आधार पर बिना कोई लीगल एविडंट के ही दावे को सेंक्शन कर सकती हैं। पोस्ट ऑफिस के इस नए नियम के अनुसार, 'कोई उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट या विल की कॉपी या मृतक की संपत्ति का कोई पत्र नहीं मिलता है, तो नीचे मेंशन की गईं अथॉरिटीज के पास यह अधिकार है कि व्यक्ति की मौत के 6 महीने बाद, बिना किसी कानूनी सबूत के पैसे के दावे को स्वीकार कर ले।'

क्र.	अथॉरिटी का नाम	लिमिट (रु.)
1	टाइम स्केल डिपार्टमेंटल सब–पोस्टमास्टर्स	5000
2	लोअर सिलेक्शन ग्रेड / पीएम ग्रेड–1 में सब पोस्टमास्टर्स	10,000
3	हायर सिलेक्शन ग्रेड (सभी नॉन गैजेटेड) / पीएम ग्रेड–II और III में सब–पोस्टमास्टर्स / डेप्युटी पोस्टमास्टर्स / पोस्टमास्टर्स	25,000
4	पोस्ट ऑफिस के डेप्युटी पोस्टमास्टर्स / सीनियर पोस्टमास्टर्स / डेप्युटी चीफ पोस्टमास्टर्स / सुपरिटेंडेंट / डेप्युटी सुपरिटेंडेंट (सभी गैजेटेड ग्रुप–ठ)	1,00,000
5	GPO / हेड ऑफिस में चीफ पोस्टमास्टर्स, पोस्ट ऑफिस के सीनियर सुपरिंटेंडेंट्स (सभी गैजेटेड ग्रुप–ए)	2,5,0000
6	डायरेक्टर हेडक्वार्टर / रीजनल डायरेक्टर्स / डायरेक्टर (GPO)	3,75,000
7	चीफ पोस्टमास्टर्स जनरल / पोस्टमास्टर्स जनरल	5,00,000

यह नियम सभी कोर–बैंकिंग सॉल्यूशंस (CBS) और नॉन–सीबीएस पोस्ट ऑफिस के लिए लागू होगा।

https://money.bhaskar.com/news/MON-ECN-BANK-post-office-savings-schemes-rules-for-claiming-deceaseds-holdings-relaxed-1560240205.html

पाकिस्तान से आयात बंद

जम्मू–कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। भारत ने इस आतंकी हमले के बाद बेहद सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान के सभी उत्पादों पर 200 फीसद आयात शुल्क लगा दिया था। इस फैसले के कारण इस साल मार्च में पाकिस्तान से होने वाला आयात 92 फीसद घटकर 28.4 लाख डॉलर पर आ गया। यह गिरावट इतनी ज्यादा है कि अगर ऐसा कहा जाए कि इस साल मार्च में पाकिस्तान से आयात लगभग बंद ही हो गया था, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बता दें कि जिन उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया गया था, उनमें प्रमुखता से कपास, ताजे फल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पाद, खनिज, आदि शामिल हैं।

वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 में पाकिस्तान से भारत में 3.461 करोड़ डॉलर का आयात हुआ था। इस साल मार्च में पाकिस्तान से हुए 28.4 लाख डॉलर के आयात में से 11.9 लाख डॉलर का आयात कपास का हुआ। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग निर्यातकों को एडवांस अथॉराइजेशन योजना के तहत पाकिस्तान से कच्चे माल के आयात पर शून्य आयात शुल्क का लाभ मिला होगा। आलोच्य महीने में पाकिस्तान से आयात किए गए प्रमुख कमोडिटी में प्लास्टिक्स, बुने हुए कपड़े, रसायन, कृत्रिम रेशे और ऊन शामिल हैं।

मार्च 2019 तिमाही में पाकिस्तान से आयात 47 फीसद घटकर 5.365 करोड़ डॉलर पर आ गया। भारत से पाकिस्तान को निर्यात भी करीब 32 फीसद घटकर मार्च में 17.134 करोड़ डॉलर रह गया। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2018–19 में यह निर्यात 7.4 फीसद बढ़कर दो अरब डॉलर पर पहुंच गया। भारत से पाकिस्तान को निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों में कार्बनिक रसायन, कपास, परमाणु रिएक्टर, ब्वॉयलर, प्लास्टिक उत्पाद, अनाज, चीनी, कॉफी, चाय, लोहा और इस्पात के सामान और फुटवियर शामिल हैं। गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) का दर्जा भी वापस ले लिया है।

काबुल और नई दिल्ली के बीच वाणिज्यिक उड़ानों के लिए पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने से भारत को अफगानिस्तान से होने वाला निर्यात 30 फीसद घट गया। भारत द्वारा 26 फरवरी को जैश–ए–मुहम्मद के पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकाने पर किए गए हवाई हमले के बाद पाकिस्तान ने सभी वाणिज्यिक उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। मार्च में पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों को छोड़कर शेष उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल दिया था। काबुल–दिल्ली उड़ानों के लिए अभी ईरान और चीन के मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। यह महंगा पड़ता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। पिछले महीने पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के साथ लगा उसका हवाई क्षेत्र 14 जून तक बंद रहेगा। ❑❑

https://www.jagran.com/business/biz-after-this-action-of-india-has-almost-stopped-importing-from-pakistan-19299598.html

स्वदेशी गतिविधियां

सचित्र झलकियां

जल मित्र संगम, भीलवाड़ा (राज.)

स्वदेशी गोष्ठी, मुंबई

ठेंगड़ी जी व्याख्यानमाला, कुरूक्षेत्र (हरियाणा)

जनसंपर्क अभियान, जमशेदपुर (झारखंड)

जनसंपर्क अभियान, साकची नगर (झारखंड)

स्वदेशी पत्रिका
डाक तिथि 15–16 जून 2019 नई दिल्ली पी.एस.ओ.
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/1/4074/2018-19-20
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

सचित्र झलकियां

स्वदेशी विचार गोष्ठी, दिल्ली

जिला सम्मेलन, कठुआ (जम्मू–कश्मीर)

परिवार मिलन कार्यक्रम, चांदनी चौक (दिल्ली)

बौद्धिक बैठक, जयपुर (राज.)

प्रकाशक व मुद्रक ईश्वरदास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती